ग्रामीण विकास विभाग

Civil कंडिका

[लोक ले० स० प्रकाशन संख्या 383]

बिहार विधान-सभा
लोक-लेखा समिति
का
प्रतिवेदन संख्या- 354

(Civil कंडिका)

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 86-87 सह 90 खंड II एवं 88-89 खंड-3 की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

(दिनांक --------------- को सदन में उपस्थापित)

विषय-सूची

1.	लोक-लेखा समिति का गठन	—	'क'
2.	लोक-लेखा समिति की उप समिति-(2) का गठन	—	'ख'
3.	विभागीय पदाधिकारी सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण	—	'ग'
4	प्राक्कथन		
5.	आमुख		
6.	प्रतिवेदन		1 से 56

क

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति के सदस्यगण का गठन (वर्ष 2001-2002)

सं० **सभापति**

1. श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स०,

सदस्यगण

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स०
3. श्री रामचन्द्र राय, स०वि०स०
4. श्री यदुवंश कुमार यादव, स०वि०स०
5. श्री शोभाकान्त मंडल, स०वि०स०
6. श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स०
7. श्री मुनीलाल यादव, स०वि०स०
8. श्री प्रेम कुमार, स०वि०स०
9. श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स०
10. श्री प्रभु दयाल सिंह, स०वि०स०
11. श्री हरि नारायण सिंह, स०वि०स०
12. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, स०वि०स०
13. श्री रामनाथ ठाकुर, स०वि०स०
14. श्री चण्डी प्रसाद, स०वि०प०
15. श्री बलदेव महतो, स०वि०प०
16. प्रो० नवल किशोर यादव, स०वि०प०
17. श्री बालेश्वर सिंह भारती, स०वि०प०
18. डा० मु० शमीम, स०वि०प०

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप-समिति-2 के सदस्यगण

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा,	स० वि० स०

संयोजक

2. श्री मुनेश्वर चौधरी,	स० वि० स०

सदस्यगण

3. श्री रामचन्द्र राय,	स० वि० स०
4. श्री राम नाथ ठाकुर	स० वि० स०
5. श्री मुनी लाल यादव	स० वि० स०
6. डा० मो० शमीम	स० वि० प०

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एस० के० एफ० कुजुर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, राँची।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) .१, बिहार एवं झारखण्ड, पटना।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक,पटना।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।

वित्त विभाग

1. श्री एम० एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त बिहार, पटना।
2. श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त बिहार, पटना।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी-सह-उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

1. श्री जे० पी० पाल, सचिव।
2. श्री बृजकिशोर सिंह प्रभात, उप सचिव।
3. श्री राधकृष्ण रजक, अवर सचिव।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी।
8. श्री शिवपूजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकंक।

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित वर्ष 1986-87 (सिविल) की खंड (I) 1990 की संख्या (1) तथा 1988-89 (सिविल) खंड 3 की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का 354वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। मुख्य समिति ने दिनांक 8.2.02 की बैठक में इसे पारित किया है ।

प्रतिवेदन को तैयार करने में महालेखाकार के प्रतिनिधियों एवं वित्त विभाग ने समिति को जो सहयोग प्रदान की है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सभा सचिवालय लोक लेखा समिति के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण ने प्रतिवेदन तैयार करने में जो अथक परिश्रम किया है उसके लिये उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगण अपने बहुमूल्य समय देकर समिति को जो सहयोग प्रदान की है मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

पटना

राम देव वर्मा,
सभापति
लोक लेखा समिति

दिनांक 18 फरवरी 2002

आमुख :.

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 86-87 (सिविल) खंड (I) 1990 की संख्या (1) एवं 88-89 (सिविल) खंड -3 की निम्नलिखित कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

वर्ष 1986-87 (सिविल)

2.2.5
2.2.7
2.2.9
2.3
2.5
2.7

वर्ष 86-87 (खंड-II) सिविल 1990 की संख्या - (I)

1.2.12 एवं 1.2.13

86-87

6.1 (क)	6.3.6.4
6.1 (ख)	6.3.7.1
6.3.1.1	6.3.7.2
6.3.1.2	6.3.8.1
6.3.3	6.3.8.2
6.3.4 क, ख एवं ग	6.3.9.1
6.3.4.1	6.3.9.2
6.3.4.2	6.3.10
6.3.5.1	6.3.11.1
6.3.5.2	6.3.11.2
6.3.5.3	6.3.11.3
6.3.5.4	6.3.11.4
6.3.6.1	6.3.11.5
6.3.6.2	6.3.12
6.3.6.3	6.3.13, 6.3.14

ग्रामीण विकास विभाग

वर्ष 1988-89 (सिविल) खंड-3

1.18

2.2.2

2.2.2 (ii)

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.10 (ख)

2.3

2.4

2.7

2.8

3.23.2 से 2.23.5 तक

3.23.6

3.23.6.1 से 3.23.6.4

3.23.7

3.23.7.1 से 3.23.7.5 तक

3.23.8

3.23.8.1 से 3.23.8.5 तक

3.23.10

3.24

6.7 (क) (ख) (ग)

6.8 (क) (ख) एवं (ग)

गोपनीय

बिहार सरकार

सामुदायिक विकास विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 (सिविल) खंड-II

(1990 की संख्या -II)

क्रमांक-1 अ०प्र० वर्ष 1986-87 (सिविल) की खंड (I) का कंडिका 2.2.5

धन व्यवस्था का अधिक्य

सामुदायिक विकास विभाग में अनुदानों और विनियोगों में 3, 08, 03, 92, 000 रुपये के मूल धन व्यवस्था में अनुपूरक धन व्यवस्था के द्वारा 14.99 लाख रुपये की वृद्धि की गयी पर व्यय मूलधन व्यवस्था के बराबर भी नहीं हो सका। फलतः 17.29 लाख रुपये की बचत हुई। यदि अनुपूरक धन व्यवस्था को 'नयी सेवा'' मदों के लिए ही साकेंतिक धन-व्यवस्था द्वारा सीमित कर दिया गया होता तो इसे टाला जा सकता था।

अनुदान/विनियोग संख्या	अनुपूरक धन व्यवस्था	बचत की राशि	बचत के मुख्य कारण का नाम और उसकी
1	2	3	4
25. सामुदायिक	14.99	17.99	मुख्यतः पंचायती राज संस्थानों को (1.11 करोड़ रुपये) अनुदान कम देना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना 7.97 करोड़ रुपये और जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना 1.48 करोड़ रुपये)। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (8.63 करोड़ रुपये) का कम उपयोग होना। जिसके कारण सूचति नहीं किए गए हैं।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग द्वारा इस कंडिका के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

समिति का निषकर्ष एवं सिफारिश

समिति समझती है कि यदि मूल अनुदान ही पर्याप्त था तो अनुपूरक धन लेन का कोई औचित्य नहीं था। चूंकि अब अवधि बीत चुकी है इस परिस्थिति में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और विभाग से अपेक्षा करती है कि भविष्य में इस पर सावधानी बरती जाय।

क्रमांक-2 अ०प्र० वर्ष 1986-87 (सिविल) की कंडिका 2.2.7

अनुदानों में लगातार बचत

निम्नलिखित अनुदानों में निरंतर बचत पायी गई :.

अनुदान	वर्ष एवं बचत की प्रतिशतता		
25 सामुदायिक	1984-85	1985-86	1986-87
विकास विभाग	12.05	12.13	5.36

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग द्वारा इस पर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

लगातार अनुदानों में बचत पायी जाने पर समिति चिन्ता व्यक्त करती है। या अनुदानों पर बचता होगी तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, जिसके लिए अनुदान दिया गया है। समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि विभाग अनुदानों का समुचित उपयोग करें जिससे धन का उपयोग लक्ष्य की पूर्ति के लिए हो।

इस निर्देश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती।

क्रमांक -3 1986-87 खण्ड (1) 2.2.9

बचत का अभ्यार्पण

(क) वितीय नियमों में प्राधान है कि बचत की संभावना का पता लगते ही सभी पूर्वानुमानित बचत का अभ्यार्पण कर दिया।

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक अनुदानों में बचत एक करोड़ रुपये से अधिक बिना अभ्यार्पित किये रह गये :.

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	अभ्यार्पण नहीं की गई एवं कुल बचत का तुलनात्मक विवरण
11-25	सामुदायिक विकास विभाग	17.15

विभागीय स्पष्टीकरण

इसके संबंध में विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

सामान्यतः वित्तीय प्रावधान है कि बचत का पता लगते ही राशि को अभ्यार्पण समय पर कर देना चाहिए। समय पर 17.15 लाख रुपया अभ्यार्पण नहीं करना विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही का द्योतक है।

समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं हो और इसी उम्मीद से समिति अब इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-4 अ०प्र० वर्ष 1986-87 (सिविल) का खंड -(II) की कंडिका 2.3

नयी सेवा / नया लेखा प्रपत्र

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नयी सेवा पर व्यय जिसे उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण और सेवा के नए प्रपत्र पर विचार नहीं किया गया था, विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है। राज्य लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में नयी

सेवा के रूप में गिनती किए जाने वाले व्यय के लिए आर्थिक सीमा की अनुशंसा की थी। इस प्रकार निर्धारित की गई शर्त्तों के अनुसार एक मुश्त धन व्यवस्था से वित्त पोषित एक लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाली सभी योजनाएं नई सेवा के रूप में जानी जायेगी और इसकी जानकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद विधान मंडल को दी जानी चाहिए। ब्याज वाले कर्जे और अग्रिम जो बजट में धन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। जब रकम एक लाख रुपये से अधिक हो जाय और दूसरे मामलों में जन व्यय धन व्यवस्था से दो गुणा हो जाय या दो लाख रुपये या इनमें में से जो भी अधिक हो "नई सेवा" कहलाएगा।

परिशिष्ट 2.2

नयी सेवा / नयी सेवा प्रपत्र

क्रमांक	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय
1.	2.	3.	4.	5.
			(लाख रुपये में)	
अनुदान संख्या 25- सामुदायिक विकास (ग्रामीण पुनर्निर्माण और पंचायत राज विभाग)				
क	314—सामुदायिक विकास (ग्रामीण पुनर्निर्माण और पंचायती राज विभाग)			
क-314-सामुदायिक विकास				
क-2-सामुदायिक विकास				
क 2 (3) बहुदेशीय परियोजनाएं.				
53 क 2 (3) (I) विशेष योजनाऐं		3.74.00	47.00	421.00
54 क 2 (4) भवनें उत्तर प्रक्रम-II प्रखंड		26.00	—	26.00
क2 (5) जन जाति क्षेत्रीय उप-योजना				
55 क 2 (5) (2) उत्तर प्रक्रम - II प्रखंड भवनें		17.00	—	17.00

विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय द्वारा इस आपत्ति पर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

एक लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाली सभी योजनाओं में सभी नयी सेवा के रूप में मानी जाती है और वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद इसकी जानकारी विधान मंडल को दी जानी चाहिए किन्तु प्रायः ऐसा नहीं किया जाता है।

समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि विभाग इस दिशा में कार्रवाई करने पर गम्भीरता से विचार करें। इसी निदेश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक -5 अ० प्र० वर्ष 1986-87 की (सिविल) की खंड -II की कंडिका 2.5

बजट की प्रक्रिया और व्यवहार

2.5.3.2 पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत व्यय की परिभाषा ऐसे व्यय से है जिसका उद्देश्य मूर्त किस्म का ठोस और स्थायी परि-सम्पतियों की वृद्धि करना है।

धन व्यवस्था और व्यय

(ग) स्थानीय निकायों/''संस्थानों को सहायक अनुदान'' की पूंजी के रूप में वर्गीकृत।

अस्थायी सम्पत्ति पर व्यय का स्थानीय निकायों/संस्थानों को/के लिए सहायक अनुदान जो उन स्थानीय निकायों या संस्थानों को होगी का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं की जायेगी जब तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत न किये गये हों?

इस नियम से विचलन के उदाहरण निम्न है:.

अनुदान की संख्या और	प्रावधान	व्यय
1.	2.	3
अनुदान सं० 25 ,सामुदायिक विकास		
कक 514 सामुदायिक विकास		
पर पूंजीगत पर व्यय		
कक 2- ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम-		
कक 2- (3) ग्रामीण सड़कों हेतु		
जिला बोर्डों/पार्षदों को अनुदान	130.00	129.23
कक 3- जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना	30.00	11.82
कक 3- (3) ग्रामीण सड़कों हेतु जिला बोर्डों		
पर्षदों को अनुदान		

विभागीय स्पष्टीकरण

इस पर कोई विभागीय टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

''स्थानीय निकायों संस्थाओं को सहायक अनुदान'' का पूंजी के रूप में वर्गीकृत अस्थायी सम्पत्ति पर व्यय निकायों या संस्थाओं को होगी, इसे वर्गीकरण पूंजीगत व्यय की रूप में नहीं की जायेगी। जब तक कि महालेखा परीक्षक की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत न किये जाय। किन्तु विभाग द्वारा इस तरह की वित्तीय अनियमितता कर दी गयी है। चूंकि अब समय बीत गया अब विभाग का इस दिशा में सर्तक रहना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की आपत्ति न हो सके। इसी निर्देश के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-6 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 (सिविल) की खंड-I की कंडिका 2.7 बचत/अधिक्यय के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत होने के पश्चात् अंतिम अनुदान/विनियोग दिखलाते हुए ब्योरे बार विनियोग लेखे, वास्तविक व्यय और फलस्वरूप अंतर को उप-शीर्ष बार नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाता है जिनसे अपेक्षा की जाती है कि शीर्षों के अधीन महत्वपूर्ण अंतर कम स्पष्टीकरण किया जाय। गत् तीन वर्षों के लेखों में भी अधिकांश मामलों में अंतर के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे।

लोक लेखा समिति ने अपने 242 वें प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी कि वित्त विभाग सुनिश्चित करे कि सभी विभाग बचत/आधिक्य के कारणों का स्पष्टीकरण महालेखाकार को भेज दें।

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम अनुदान/विनियोग राशि से कम व्यय उक्त वर्ष में प्रमंडलों द्वारा समर्पित लेखा का रिकान्सिलिवेशन समय पर पूरा नहीं होने के चलते कारणों की जानकारी समय अन्तराल हो जाने से कठिनाई हो जाती है।

उपर्युक्त के अनुभ्रवण में सम्प्रति प्रमंडलों से वास्तविक व्यय विवरणी प्राप्त की जाती है एवं समय पर रिकानलियेशन समय पर कराने के लिए प्रमंडलों को उचित निदेश पत्रांक 401 दिनांक 1.2.97 द्वारा भेजा गया है। भविष्य में इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रहेगा।

वर्ष 83-84 महालेखाकार के पत्रांक -166 दिनांक 30.11.84 एवं 479 दिनांक-19.3.85 द्वारा प्राप्त प्रारूप विनियोग लेखा के संबंध में स्पष्टीकरण क्रमशः विभागीय पत्रांक 221 दिनांक 11.1.85 एवं 3086 दिनांक -13.4.85 द्वारा महालेखाकार को भेजा जा चुका है।

वर्ष 84-85 के संबंध में महालेखाकार द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने संबंधी जानकारी निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 85-86 :- वर्ष 85-86 में महालेखाकार के पत्रांक 1611 दिनांक 16.2.88 एवं 298 दिनांक -28.1.88 द्वारा प्राप्त प्रारुप विनियोग लेना की पृच्छाओ का स्पष्टीकरण विभागीय

पत्रांक क्रमशः 1931 दिनांक-11.3.88 एवं 2407 दिनांक -23.3.88 द्वारा भेज दिया गया है। उपर्युक्त वर्णित प्रतिवेदन मार्च, 88 के पूर्व महालेखाकार को भेजे जा चुके हैं।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत होने पर व्योरेवार विनियोग लेखा, वास्तविक व्यय तथा। लिए स्पष्टीकरण भेजना है पर देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता है। समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि इस पर समय पर निगरानी रखा जाय। विभागीय स्पष्टीकरण और उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक I :- अ० प्र० वर्ष 1986-87 खंड -II (सिविल) 1990 की संख्या (I) 1.2.12 एवं 1.12.13 सरकार के निवेश :-

सरकार द्वारा बिहार पंचायीत राज्य वित्त निगम में 1974-75 से 1985-86 एवं 1986-87 के अंत तक 98,00, 000 रु० का निवेश किया गया था जिसमें 1981-82 के दौरान कम्पनी को 0.21 लाख रुपये का लाभ हुआ । 1981-82 के अंत तक 1.21 लाख रुपये की आकलित हानि हुई।

1982-83 से 1986-87 तक के लेखे बकाया पड़े हैं।

विभागीय स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 86-87 के पूर्व तक सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज वित्त निगम 99.50 लाख रु० का निवेश किया गया। वर्ष 86-87 में निगम में 2.50 लाख रुपये का निवेश किये जाने के पश्चात् वर्ष 86-87 तक सरकार द्वारा कुल निवेश 1.02 करोड़ रुपये हो गया।

निगप द्वारा वर्ष 85-86 एवं 86-87 का आंतारिक अंकेक्षण कराये जाने पर क्रमशः 2, 42, 442/- रु० एवं 3, 65, 464/- रु० का लाभ प्रतिवेदित हुआ है। निगम की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण वर्ष 85-86 एवं 86-87 का परिनियत अंकेक्षण कराया जाता संभव नहीं हो सका है। वित्तीय वर्ष 84-85 के परिनियत अंकेक्षण के उपरांत 1,19,000 रु० की हानि ही प्रतिवेदित होगी। निगम के स्थापना व्यय में वृद्धि के कारण निगम अर्थिक रूप से रुग्न हो गया है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति लगातार कई वर्षों के अंकेक्षण आपत्ति से देखती है कि निगम घाटे में चल रही है और स्थानपना व्यय पर अधिक खर्च है। निगम को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में सरकार विचार करे और इस संबंध में वित्त विभाग के माध्यम से निदेश के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1986-87, खण्ड -II

कंडिका - 6.1 (क) -अनुदान

1986-87 के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी निकायों और संस्थाओं को अनुदान के रूप

में 220.34 करोड़ के रुपये भुगतान किया गया। यह सरकार के राजस्व लेखे पर कुल व्यय का 9 प्रतिशत था। 1985–86 के लिए तदनुरूपी अंक—

ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं :–

	1985–86	86–87
1. शिक्षण संस्थाएँ	96.75	127.42
2. पंचायत/ राज संस्थाएँ और स्थानीय निकाय	16.3	11.02
3. निगम, स्वायतशासी निकाय आदि	36.11	59.89
4. नगरपालिकाएँ	7.09	11.64
5. अन्य	6.19	10.37
योग—	162.46	220.34

नीचे दी गई तालिका उन मुख्य उद्देश्य को दर्शाती है जिनके लिए अनुदान दिए गये थे:.

उद्देश्य	राशि 1985–86	1986–87 (करोड़ रु० में)
1. नगर पालिकायें और पंचायती राज संस्थानाएं जिला परिषदों नगर पालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों के शिक्षेकत्तर कर्मचारियों को संशोधित वेतन और भत्ते तथा अन्य लाभ के लिए अंशदान, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आदि	13.99	16.55
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए सहयोग, सूद में छूट आदि	12.85	—
योग —	26.84	16.55

अं०प्र० वर्ष 1986–87 (सिविल) की खंड–11 कंडिका 6.1 (ख)

(ख) उपयोग प्रमाण-पत्र

जहाँ विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान दिए जाते हैं, वहाँ सरकार के वित्तीय नियमों के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों को लेखा परीक्षा के समक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है कि किस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया था उस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्त्ता द्वारा अनुदान का उचित उपयोग किया गया था। सितम्बर 1987 के अंत में लगभ्ग 32 करोड़ रुपये के अनुदान के संबंध में 5018 मामलों में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट 6.1 में दर्शाये गये हैं।

उपयोग प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रशासन या लेखा परीक्षा के लिए सामान्य रूप से भी यह कहना संभव नहीं है कि जिस उद्देश्य या जिन उद्देश्यों के लिए ये अनुदान दिए गए थे उस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्त्ताओं ने अनुदान का उपयोग किया या नहीं अथवा किस हद तक किया ।

विभागीय स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज निदेशालय) द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को क्रमशः कुल 3.04442 करोड़ एवं 2.5849 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार है :.

क्र०	उपशीर्ष	स्वीकृत (1985-86)	अनुदान (1986-87)
1	2	3	4
1.	जिला परिषदों के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन भत्ते हेतु अंशदान	1.4844	1.4434 करोड़
2.	पंचायती राज सहायूय अनुदान गैर सरकारी सदस्यों का भत्ता	0.80532	0.5735 करोड़
3.	पंचायतों को प्रेरणादायक अनुदान	0.10500	0.1574 करोड़
4.	जिला परिषद कार्यालय भवन हेतु अनुदान	0.14500	0.1400 करोड़
5.	सुलभ शौचालयों के लिए जिला परिषदों को अनुदान	—	0.0200 करोड़
6.	ग्रामीण भवनों हेतु अनुदान	0.25000	0.1963 करोड़
7.	प्रतिदान अनुदान	0.00470	0.0545 करोड़
8.	ग्रामीणो सड़कों हेतु अनुदान	0.25000	0.16850 करोड़
		3.04442	2.5849 करोड़

स्वीकृत अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सीधे महालेखाकार को भेजा जाता है।

उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र की खोज कार्यालय में किए जाने के वावजूद भी उपलब्ध नहीं हो सकेंगे के कारण पंचायत राज निदेशालय के पत्र संख्या-203 दिनांक 21.1.87 द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया गया है कि पूर्व में महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने की स्थिति में उसे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी प्रति पंचायत राज निदेशालय को उपलब्ध कराऐ। सभी उप विकास आयुक्तों से उनके पूर्व में महालेखाकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग भी की गई है। चूँकि उपर्युक्त विवरणी के स्तम्भ 7 में अंकित स्वीकृत राशि जिला परिषदों को उनके द्वारा वसूले गये शुल्क जुर्माना के बदले समतुल्य राशि से संबंधित है, जो कि देवता है अतः उसकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना 6.3.1.1. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा सम्बद्ध ग्रामीण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रत्येक जिला में 1981 में एक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को छोड़कर निबंधन अधिनियम, 1981 में स्थापित। सभी का निबंधन समिति निबंधन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया था। डी० आर० डी० ए० का प्रमुख समाहर्त्ता/उप-आयुक्त होता है और कार्यक्रम को लागू करने में उसकी सहायता प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक तंत्र द्वारा की जाती है। डी० आर० डी० ए० का कार्य निष्पादन, समन्वय, समीक्षा तथा अनुश्रवण करना और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस०सी०सी०) को कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम को प्रतिपुष्टि करना है। परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार करने में भी अभिकरणों को सहायता प्रदान करना है।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में निष्पादन के लिए कोई बिन्दु निहित नहीं है।

समिति की सिफारिश

यह केवल समिति के सूचनार्थ है। अतः इसे समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.1.2– डी०आर०डी०ए० का मुख्य कार्य, आई०आर०डी०पी० के कार्यान्वयन की समीक्षा, जनवरी-अगस्त 1984 के दौरान की गई थी और उसका परिणाम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1983–84 (सिविल) की कंडिका 3.1 में दिया गया था। 38 डी०आर०डी०ए० में से 8 डी०आर०डी०ए० (हजारीबाग, धनबाद, मुंगेर, भागलपुर, पलामू, पटना, गया और मुजफ्फरपुर) के अभिलेखों की समीक्षा / नमूना जाँच 1980–81 से 1985–86 की अवधि के लिए की गई थी। वह समीक्षा नमूना जाँच कार्यों की सामान्य समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा द्वारा मई 1987 से जुलाई 1987 के दौरान की गई थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्त्तव्यों का मात्र उल्लेख है। निष्पादन के निमित्त कोई बिन्दु निहित नहीं है।

समिति की सिफारिश

यह समिति के सूचनार्थ है। अतः इस कंडिका को समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.3–मुख्य बातें

नमूना जाँच किए गए डी०आर०डी०ए० की प्रबन्ध समिति की बैठक में 25 में 100 प्रतिशत तक कमी आयी थी। कुछ अभिकरणों में, कार्यान्वयन समिति का गठन तक नहीं किया गया था।

दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार लेखे नहीं रखे गये थे। बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किए गए थे।

धनबाद, गया और हजारीबाग में यद्यपि चुने गए लाभान्वितों की सूची ग्राम परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

प्रदान की गई प्रति व्यक्ति सहायिकी अनुमेय राशि से कम थी। परिसम्पतियों((दुधारू पशु) की पूर्ण इकाईयों की आपूर्ति नहीं की थी।

गैर प्राधिकृत नकद अग्रिम और बैंकों को अग्रिम सहायिकी की स्वीकृति द्वारा व्यय की राशि को बढ़ा दिया गया था 14,996.71 लाख रुपये के व्यय में विभिन्न अधिकारियों और संगठनों को दिये गये 193.78 लाख रुपये का अग्रिम भी शामिल था जिसका समायोजन अपेक्षित था।

निधि के दुरुपयोग के कई मामले पाए गए थे।

लाभान्वितों को दी गई परिसम्पत्तियाँ का प्रत्यक्ष सत्यापन कई अभिकरणों द्वारा नहीं किया गया था। जिन मामलों में परिसम्पत्तियों को निर्वतन किया गया था उनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण (30.8 प्रतिशत) और प्रशिक्षित युवकों के स्वनियोजन (59.9 प्रतिशत) सुनिश्चित करने में भारी कमी आयी थी।

यद्यपि 294 लाख रुपये किए जा चुके थे, सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि के विषय में अभिकरण को कोई जानकारी नहीं थी।

अनुवर्त्ती कंडिकाओं में उपर्युक्त बातों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

विभागीय स्पष्टीकरण

विषय से संबंधित प्रासंगिक कंडिकाओं में प्रतिवेदन अंकित है।

समिति की सिफारिश

यह कंडिका समिति के सूचनार्थ है। इसे समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.4–बैठक

(क) प्रबन्ध समिति

अभिकरण के क्रियाकलापों पर परिचर्चा तथा विचार-विमर्श के लिए कम-से-कम तीन महीने में एक बार अभिकरण के प्रबंधन समिति की बैठक होनी थी। नमूना जाँच किये डी. आर. डी. ए. में नियमित रूप से बैठक का आयोजन नहीं किया गया था और बैठक की संख्या में 25 से 100 प्रतिशत तक की भारी कमी आई थी। 1981-82 के दौरान धनबाद में और 1983-84 तथा 1984–85 के दौरान गया में, 1981–82 के दौरान मुजफ्फरपुर में तथा 1982–83 और 1985–86 के दौरान भागलपुर में और 1982–83 तथा 1984–85 के दौरान पलामू में केवल एक बार परिषद की बैठक हुई थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

राज्य के ग्रामीण विकास अभिकरणों की नियमित रूप से बैठको हो, इसके लिए सभी अभिकरणों को पूर्व से ही दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं तथा इस संबंध में प्रतिमाह राज्य स्तर पर मूल्यांकन/अनुश्रवण भी किया गया है। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक–4668 दिनांक–15.5.96 द्वारा सभी जिला पदा० एवं उप विकास आयुक्त को प्रति दो माह के अंतराल पर प्रबंध पर्षद की बैठक आहूत करने का निदेश भेजा गया है। तदनुसार सभी अभिकरण प्रायः नियमित रूप से प्रति दो माह पर एक बैठक अवश्य करता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.4. (ख) कार्यकारिणी समिति

चूँकि प्रशासी-निकाय की सदस्यता विस्तृत थी, प्रत्येक डी०आर०डी०ए० के लिए एक कार्यकारिणी समिति के गठन में अध्यक्ष : समाहर्त्ता /उपायुक्त। एवं उपाध्यक्ष (उप विकास आयुक्त) सहित 8 सदस्यों का होना था। इस समिति को माह में कम-से-कम एक बार बैठक करनी थी। जिससे विभिन्न कार्यक्रमों की गहन तौर पर जाँच पड़ताल कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। फिर भी हजारीबाग, पटना, गया और भागलपुर में इस तरह की समिति का गठन नहीं किया गया था। नमूना-जाँच के अंतर्गत शामिल किए गए अन्य चार जिलों में यद्यपि समितियो के गठन किए गए थे फिर भी उनकी बैठक नियमित रूप से नहीं हुई थी : बैठकों की संख्या लक्ष्य से 60 से 100 प्रतिशत कम थी। मुजफ्फरपुर में, जब समिति की बैठक 1981-82 में केवल एक बार, 1982-83 में दो बार और 1983–84 में तीन बार हुई थी, 1984–85 और 1985–86 के दौरान इसकी बैठक एक बार भी नहीं हुई थी। मुंगेर में : 1981–82 में कोई बैठक नहीं हुई थी : 1985-86 में भी केवल एक बार एवं अन्य प्रत्येक वर्षों में दो बार बैठक हुई थी। पटना और दरंभगा में हुई बैठकों की संख्या प्रत्येक वर्ष में 2 और 5 के बीच की थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका में किये गये प्रेषण के आलोक में अनुसरणात्मक कार्रवाई की जा रही है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.4. (ग) वार्षिक आम सभा

वार्षिक आमसभा साल में कम से कम एक बार तुन पत्र, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए होनी थी। नियमों में व्यवस्था है कि अनुवर्त्ती

वार्षिक आम सभाओं के बीच का अन्तराल 15 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह देखा गया कि हजारीबाग को छोड़कर किसी जिले में कभी भी इस तरह की बैठक नहीं हुई। हजारीबाग में भी जनवरी, 1983 और अगस्त 1983 में केवल दो बैठके हुई थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

सम्प्रति सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा वार्षिक आम सभी प्रावधानानुसार किया जा रहा है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.4–लेखाकरण प्रक्रिया

6.3.4.1– लेखे प्रखंडवार रखा जाना चाहिए था। हजारीबाग को छोड़कर कहीं भी लेखे को प्रखंडवार नहीं रखा गया था। मुजफ्फरपुर और गया डी०आर०डी०ए० को छोड़कर लेखे दोहरी प्रविष्टि पद्धति पर भी नहीं रखे गए थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

राज्य के सभी अभिकरणों द्वारा लेखा संधारण प्रखंडवार कराया जा रहा है एवं दोहरी प्रविष्टि पद्धति भी लागू की जा रही है।

समिति की सिफारिश

समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.4.2– सभी लेन-देन रोकड़ बही के माध्यम से होना था। किन्तु यह देखा गया कि भागलपुर, धनबाद, पलामू और मुंगेर में सरकार से प्राप्त अनुदान और उनमें से सहायिकी पर व्यय रोकड़ बही के माध्यम से नहीं किये गये थे। इस तरह के लेन-देन सहायक बहियों में दर्ज किये गये थे। सिर्फ स्थापना के लिए निकासी की गई और उस पर हुए व्यय की राशि को ही रोकड़ बही में दर्ज किये गये थे। सहायक बतियाँ सामान्यतः अद्यतन नहीं थी। बैंक समाधान विवरण भी किसी एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था। इस तरह की विवरणी और समेकित रोकड़ बही के अभाव में समय-समय पर एजेंसीयाँ के पास पड़ी हुई। संचिका को तुरत सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका के संदर्भित अभिकरणो के लेखा परीक्षण के पश्चात् प्रस्तुत प्रेक्षण के अनुसरण में कारगर कार्रवाई की गई। सम्प्रति अभिकरणो में लेखा संधारण दोहरी प्रविष्टी पद्धति लागू की गई है जिसके निमित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण एवं बैंक रिकन्सलीलेशन कराया जाता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

लाभान्वितगण

6.3.5.1– डी०आ०डी०ए० को सुनिश्चित करना था कि नियमों के अनुसार प्रारंभ से ही ग्रामवासियों का संयुक्त कर योग्य व्यक्तियों को सहायिका और ऋण दिये जायें। लक्ष्य समूह का सूची का ग्राम सभा के समक्ष रखने के बाद प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र०वि०प०) द्वारा उसका अंतिम रूप दिया जाता था और किसी तरह के विवाद के मामले में, इसका निर्णय परियोजना पदाधिकारी, डी०आर०डी०ए० द्वारा लिया जनाा था। यद्यपि धनबाद, गया और हजारीबाग में सूची पुष्टीकरण के लिए ग्राम-सभा के समक्ष नहीं रखी गई थी : डी०आर०डी०ए० ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वितों को नियमानुकूल चयनित करने के निमित धनबाद, गया, हजारीबाग को पूर्ण सावधानी बरतने का वांछित निर्देश दिये गये। सम्प्रति सभी अभिकरणों के द्वारा लाभान्वितों का चयन विहित प्रक्रिया अनुरूप किया जा रहा है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अब विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। 6.3.5.2– एजेंसियों द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को दी गई लाभान्वितों की संख्या के बीच भारी अंतर था : 1980–81 से 1985–86 के लिए राज्य स्तर के आँकड़ें में नमूना जांच किये गये डी०आर०डी०ए० द्वारा दिए गए आँकड़े से कुल 46.831 लाभान्वित अधिक दर्शाये गये थे। इस विषमता का समाधान नहीं किया गया था। डी०आ०डी०ए० ने भी, कुल मामले में, राज्य सरकार को आँकड़े देते समय लाभान्वितों की संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाई थी। डी०आर०डी०ए० गया ने 1985–86 के दौरान 11.5 प्रतिशत तथा डी०आर०डी०ए० हजारीबाग ने 1983-84 से 1985-86 के दौरान कुल लाभान्वितों का 375 प्रतिशत आँकड़ा बढ़ा दिया था।

विभागीय स्पष्टीकरण

राज्य सरकार के ऐजेंसियों द्वारा भारत सरकार को दिये गये लाभान्वितों की संकय के बीच भारी अंतर की मुख्य कारण यह है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल स्वीकृत ऋण आवेदनों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा इन स्वीकृत आवेदनों एवं व्यय की गई सहायिकी के अनुसार कुछ अंतर रह जताा है क्योंकि वास्तविक निकासी में कुछ समय अधिक लग जाता है। यही कारण है कि दोनों आँकड़ो में अंतर अक्सर पाया जाता है परन्तु इसे शीघ्र ही समायोजित कर लिया जाता है। स्वीकृत आवेदनों के आधार पर भारत सरकार को लाभान्वितों की संख्या सूचित करने में यह भी उद्देश्य निहित रहता है कि स्वीकृति के आधार पर प्रक्षिप्त आवश्यक राशि भारत सरकार से प्राप्त किया जा सके।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.5.3– जहाँ डी०आर०डी०ए० भागलपुर और पलामू के पास गरीबी रेखा के ऊपर उठाए गए लाभान्वितों की संख्या दर्शानेवाले अभिलेख नहीं थे, डी०आर०डी०ए० मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, पटना मुंगेर और गया ने 2,10,054 लाभान्वितों में से केवल 38,348 लाभान्वितों को ही गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, इस संबंध में उपलब्धियाँ केवल 4 प्रतिशत (पटना) से लेकर 39 प्रतिशत (मुंगेर) तक ही थी। जब डी०आर०डी०ए० गया में दिया गया आँकड़ा किसी सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर आधारित नहीं था, अन्यत्र प्रखंड विकास पदाधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर आधारित था। डी०आर०डी०ए० ने बताया (अप्रैल-जून 1987) चूँकि गरीबों में से अत्यन्त गरीब को पहले सहायता दी गई थी, गरीबी रेखा को पार करनेवाले लाभान्वितों की प्रतिशतता बहुत ही थोड़े समय में कम हो जायेगी। किन्तु लेखा परीक्षा में जाँच से पता चला कि 1983–84 से 1985–86 के दौरान प्रति परिवार 3,000 रुपये से 5,000 रुपये से लेकर 1,532 रुपये तक दी गई थी। जीवन यापन की क्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिसम्पतियों। अर्थात् प्रत्येक लाभान्वितों के लिए मवेशियो और पक्षियों की संख्या। की पूरी इकाइयाँ भी प्रत्येक मामले में आपूर्त्ति नहीं की गई थी।

डी०आर०डी०ए० को एक लाभान्वित को छः महीने या पहले मवेशी के दूध देने की अवधि की समाप्ति पर एक दुधारू मवेशी को आपूर्त्ति करने के लिए सुनिश्चित करना था। दूसरी दुधारू मवेशी की आपूर्ति की असफलता 53 से 99.8 प्रतिशत तक की थी, जैसा विवरण नीचे दिया गया है :—

जिला	लेखा परीक्षण में जाँच किए गए मामलों की सं०	दूसरी मवेशी दिये गये मामलों संख्या 1	कमी	कमी की प्रतिशतता
1. मुंगेर	1,127	18	1,109	98
2. हजारीबाग	51	23	28	55
3. पटना	162	76	86	53
4. गया	3,697	7	3,690	99.8
5. मुजफ्फरपुर	321	2	319	99.4

विभागीय स्पष्टीकरण

यह सुझाव स्वरूप है।

आई०आर०डी०पी० के तहत प्रति परिवार पर्याप्त पूंजी निवेश पर बल दिया जाता रहा है। बैंकों द्वारा दूसरी दुधारू मवेशी की आपूर्त्ति नियमानुसार कराने के लिये डी०आर०डी०ए० को आगाह किया जाता रहा है। सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस त्रुटि को निष्पादित किया जा सकता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय टिप्पणी के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.5.4– सभी बैकों को एक पथ के अंदर कर्ज के आवेदनों का निष्पादन करना था। डी०आर०डी०ए० को लाभान्वितों से प्राप्त आवेदनों की संख्या, बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या, वास्तव में कर्ज दिए गए लाभान्वितों की संख्या तथा संस्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों की संख्या और उनके कारण आदि के संबंध में बैंक की प्रत्येक शाखा से मासिक सूचना प्राप्त करनी थी। यह विवरण किसी भी एजेन्सी द्वारा बैंक से प्राप्त नहीं किया गया था। किन्तु प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र० वि० प०) द्वारा दी गई विवरणीयों के आधार पर डी०आर०डी० द्वारा तैयार किए गए मासिक प्रगति प्रतिवेदनों से पता चला कि 31 मार्च, 1986 को धनबाद, भागलपुर, पलामू, हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिलें में क्रमश 20,45, 19.778. 15,667, 12,570, 2,136, 21,048 और 12, 224 कर्ज के आवेदन एक महीने से अधिक अवधि से बैंक के पास संस्वीकृति के लिए लंबित (लंबित रहने की अवधि न तो डी०आर०डी०ए० के पास और न ही प्र०वि०अ० के प्रतिविदनों में ही उपलब्ध था। तथापि संबंधित डी०आर०डी०ए० बैंक द्वारा जल्द काम कराने की दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं किया। धनबाद, पलामू, हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिले में भी कर्ज संबंध क्रमशः 1,382, 2,238, 550, 2,246, 4,134 और 4,521 संवेदन भुगतान के लिए लंबित थे। अभिलेखों के अभाव में डी०आर०डी०ए० इन आवेदनों की लंबित अवधि से भी अवगत नहीं थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह सुझाव स्वरूप है। बैंकों द्वारा ऋण हेतु लंबित आवेदनों को 15 दिनों के अंदर निष्पादित कराने की कार्रवाई हेतु डी०आर०डी०ए० को आगाह किया जाता रहा है। स्वीकृत आवेदनों पर ऋण का वितरण शीघ्रातिशीघ्र कराने के लिए भी निर्देश भेजे जाते हैं। सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस त्रुटि को निष्पादित किया जा सकता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय टिप्पणी के आलोक में समिति अब इसे बढ़ाना नहीं चाहती है।

वित्तीय लेखे

6.3.6.1– एजेन्सियों के लेखे में दर्शाये गए सहायिकी पर व्यय सामान्यतः गलत थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एजेन्सियों ने अपने लेखे में व्यय को बैंक द्वारा संस्वीकृत ऋण के आधार पर सहायिकी पर व्यय दर्शाया था जबकि बैंक द्वारा सभी मामलों में कर्ज संवितरण नहीं भी किया गया होगा। मुंगेर, धनबाद, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में सहायिकी पर व्यय को बैंक द्वारा वास्तविक भुगतान के आधार पर न करे, डी०आर०डी०ए० द्वारा दी गई सहायिकी के लिए प्राधिकरण के आधार पर लेखे में दर्शाया गया था। सहायिकी पर व्यय प्रखंड विकास अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर लेखे में दर्ज किया गया था। गया और हजीबाग में प्रतिवेदनों पर आधारित सहायिकी पर व्यय का हिसाब किया गया था यद्यपित प्रतिवेदनों

की विलंब से प्राप्ति के कारण एक वित्तीय वर्ष के व्यय को अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लेखे में पुनर्नियतन किया जा रहा था। जब हजारीबाग (चौथारण, मोड्डू और कोडरमा प्रखंड) में 1983-84 और 1985–86 के दौरान क्रमशः व्ययित 1.23 लाख रु० और 2.18 लाख रु० को 1986–87 के दौरान व्यय के रूप में दर्शाये गए थे, गया में 1984–85 के दौरान 200 लाभान्वितों को 2.69 लाख रु० व्ययित राशि को 1985–86 के लेखे में समायोजित किए गए थे। पटना में बैंक द्वारा प्रेषित समायोजन प्रतिवेदन में डी०आर०डी०ए० द्वारा प्राधिकरण, लाभान्वितों के ब्योरे और खास लाभान्वितों को दी गई राशि के प्रसंग नहीं थे। इन ब्योरे के अभाव में सहायिकी पर व्यय की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सहायिकी पर भुगतान के गलत चित्र लेखन से लाभान्वितों की संख्या और खास वर्ष में दर्शाये गये व्यय के बारे में गलत चित्र दिया गया था।

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रासंगित ऐजेंसियों का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लेखाओं का अंकेक्षण कराया गया जिसके आधार पर सुनिश्चित किया गया कि मुंगेर, धनबाद, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में लाभान्वितों को बैंकों द्वारा वास्तविक भुगतान की राशि के समानुपातिक ही सहायिकी की राशि उपलब्ध कराई गई है। गया एवं हजारीबाग के संदर्भ में अभिकरणों के लेखा संधारण में इंगित त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। सम्प्रति समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देय सहायिकी की राशि अभिकरणों द्वारा सीधे बैंकों को मुहैया कराया जाता है ताकि बैंको द्वारा संस्वीकृत ऋण के भुगतान के आधार पर ही समायोजन बैंक कर लेता है। निष्कर्षतः इसी प्रक्रिया में सहायिकी की राशि बैंक द्वारा वास्तविक भुगतान के आधार पर ही होगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.6.2–डी०आर०डी०ए०, मुजफ्फरपुर ने 1981–82 के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा संस्वीकृत कर्जों की सूचना प्राप्त किये बिना ही उन्हें 60.61 लाख रु० दे दिया। दो वर्षों (1981 से 1983) तक राशि बेकार पड़े रहने के बाद 1983–84 के दौरान सहायिकी के संवितरण द्वारा 47.96 लाख रु० और चेक रद्द कर 1.50 लाख रु० समायोजित कर लिये जिससे मार्च, 1986 के अंत में 11.15 लाख रु० के शेष बचे रहे। निधियाँ बिना ब्याज उपार्जन किये बैंक में रूकी रही। मार्च 1986 तक बैंक में पड़े इन निष्क्रिय अग्रिमों पर 8 प्रतिशत की दर से भी हिसाब करने से साधारण ब्याज 13.17 लाख रु० होता है।

विभागीय स्पष्टीकरण

संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्रतिवेदन की मांग की गई है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

संबंधित जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग अपने स्तर से कारगर कार्रवाई कर समिति को इसकी जानकारी 6 माह के अंदर दी जाय।

6.3.6.3–डी०आर०डी०ए० ने 1980–86 के दौरान कुल 4.996.71 लाख रुपये व्यय किये। व्यय में आई०आ०डी०पी० के अंतर्गत विभिन्न क्रिया-कलापों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों, संगठनों आदि को दिये गये 31 मार्च 1986 तक के अग्रिम 109.78 लाख रु० की राशि भी शामिल थी। विस्तृत लेखे प्राप्त किए बिना ही एजेन्सियों द्वारा इन अग्रिम को अंतिम व्यय के रूप में दर्शाये गये थे। इनमें से कुछ अग्रिम 1981-82 से ही यानि प्रारम्भ से ही संबंधित थे। विस्तृत लेखे के अभाव में डी०आर०डी०ए० द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जिन योजनाओं के लिए रुपये दिए गए थे उनपर ही खर्च हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

डी०आर०डी०ए० सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत संस्था है अतः इसे लेवे का सत्यापन प्रतिवर्ष चार्टड एकाउन्टेंट से कराया जाता है और ऑडिट रिपोर्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा आर्डिट रिपोर्ट में यदि कोई आब्जेर्वेशन हो तो उसका अनुपालन करते हुए राशि की विमुक्ति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा करने के पश्चात् केन्द्रांश की राशि की विमुक्ति की जाती है। यदि किसी अवधि में जिन योजनाओं के लिए रुपये दिए गए वे उनपर ही खर्च हुए या नहीं, यह तत्मय सुनिश्चित नहीं हो पाता है तो समाधान डी०आर०डी०ए० द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र से होगा ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय इसकी समीक्षा कर कार्रवाई करे। समिति इसी निदेश के साथ इसे आगे ढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.6.4– सहायिका के लिए उपलब्ध निधियाँ का डी०आर०डी०ए० द्वारा संपदा उपयोग नहीं किया गया था। धनबाद में 1980–81 से 1985–86 के दौरान 61.62 लाख रु० अनुपयोजित रह गए। अन्य 5 डी०आर०डी०ए० में बहुत दिनों से (बहुत से मामले में अप्रैल 1980 से) 29.07 लाख रु० विभिन्न बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

आडिट रिपोर्ट तथा केन्द्रांश की विमुक्ति हेतु प्रस्ताव से हो जाता है। प्रासंगिक कंडिका में उल्लेखित जिन योजनाओं के लिये रुपये दिये गये थे उससे लंबित कार्य सम्पन्न कराये गये। तदनुकूल कंडिका निष्पादित मानी जा सकती है।

के तहत अनुदान की राशि समय-समय पर प्राप्त होती रहती है और बैंक के द्वारा आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण के पश्चात् अनुदान की राशि का समायोजन किया जाता है। ऐसे कारण होते हैं। जिससे किसी खास वर्ष की रकम का उपयोग ससमय नहीं हो पाता है। अनुवर्ती वर्षों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राशि का उपयोग किया गया जो कंडिका का ड्राफ्ट किया जा सकता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

सहायिकी का अनियमित भुगतान

6.3.7.1— मुंगेर में, बैंकों ने 1980–81 और 1981–82 के दौरान उनके द्वारा 3,302 लाभान्वितों को भुगतान किये गये। 38.06 लाख रु० की सहायिकी का दावा किया। डी०आर०डी०ए० मुंगेर को दावा अनुमान्य था क्योंकि मामले उसके द्वारा प्रायोजित नहीं थे। तथापित सरकार ने जनवरी 1985 में डी०आर०डी०ए० को उन लोगों को भुगतान करने के लिए कहा जिनके नाम पहचाने गए प्रत्याशित लाभान्वितों की सूची में थे। उस पर डी०आर०डी०ए० ने 1620 लाभान्वितों को दिये गये उनमें सहायिकी के लिए बैंकों को 1985–86 के दौरान 15.08 लाख रुपये दिया। ये लाभान्वित व्यक्ति आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत सहायतार्थ पहचान नहीं किये गये थे। एजेंसी ने बताया कुल 1987 कि प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

विभागीय स्पष्टीकरण

लाभार्थियों की धारित सूची से बाहर के निर्धनतम व्यक्तियों को उनके पक्ष में त्वरित कार्रवाई की जाती रही है और बाद में उन्हें औपचारिक रूप से आई०आर०डी०पी० के सूची में रखा जाता है। यह सूची बीच-बीच में संशोधित होती रहती है एवं जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं उन्हें सूची से हटा दिया जाता है एवं नये-नये परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते पाये जाते हैं, सूची में शामिल किया जाता है। कार्यक्रम के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न एजेन्सीज को लाभार्थियों की पहचान में कठिनाई हुई थी, किन्तु अनुवर्ती वर्षों में इसमें वांछित सुधार लागया गया है।

यह मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि है, कंडिका निष्पादित समझी जा सकती है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.7.2— सहायिकी और कर्ज का भुगतान सीधे डी०आर०डी०ए० द्वारा नहीं किया जाना था। बैंक को डी०आर०डी०ए० के पूर्व प्राधिकरण पर अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता या निकाय या माल आपूर्ति करनेवाले संगठन को लाभान्वितों की ओर से भुगतान करना था। संस्वीकृत के उपरांत कर्ज का भुगतान भी बैंक द्वारा किया जाना था। तथापित 1983–84 के दौरान डी०आर०डी०ए० गया ने आपूर्तिकारी को उनके द्वारा 38 हरिजनों को आपूर्ति 38 पम्प सेटों की लागत के लिए सीधे 2.10 लाख रु० भुगतान किया था। इनमें से 1.31 लाख रु० (62.4 प्रतिशत) सहायिकी के रूप में तथा शेष 0.79 लाख रु० लाभान्वितों के विरुद्ध ऋण के रूप में समझा गया था। वे कर्जे छः महीने के बाद 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल किये जाने थे। सहायिकी और कर्ज का डी०आर०डी०ए० द्वारा सीधे भुगतान किया जाना अनियमित

था। इसके अतिरिक्त अधिकतम 50 प्रतिशत देय 11.05 लाख रु० (सहायिकी के मुकाबले 62.4 प्रतिशत 11.31 लाख रु०) की दर से सहायिकी देने के फलस्वरूप 0.28 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ था।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्त्तमान में गया जिले से पत्राचार किया गया है। प्रतिवेदन उत्तर प्राप्त होने पर दिया जाएगा। अंतिम स्मार फैक्स संवाद 898 दिनांक 30.1.97 को दिया गया है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

1. संबंधित जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त करने की दिशा में विभाग कार्रवाई और उसकी समीक्षा करे।

2. की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अंदर अवगत करावे।

निधि का अनुचित उपयोग

6.3.8.1– हजारीबाग में प्रबंध समिति ने बैंक में आई०आर०डी०पी० तिथियों के जमा पर प्राप्त ब्याज से कार्यालय भवन के निर्माण का अगस्त 1980 में अनुमोदन किया था। 2.37 लाख रु० की अनुमानित लागत के कार्य का निष्पादन जिला बोर्ड द्वारा किया जाना था। इसके लिए जनवरी 1981 से मार्च 1983 के दौरान जिला बोर्ड को 2.07 लाख रु० अग्रिम दिए गए थे और उसे एजेंसी के लेखे में अंतिम व्यय मान लिए गए थे। कार्य अगस्त 1981 में प्रारंभ किया गया था और डी०आर०डी०ए० को जनवरी 1983 में भवन सौंप दिया गया। किन्तु समापन प्रतिवेदन एवं व्यय के ब्योरे प्राप्त नहीं हुए थे (मई 1987) । आई०आर०डीपी० की तिथियाँ का अंतरण कार्यालय भवन के निर्माण के लिए किया जाना अनियमित था।

विभागीय स्पष्टीकरण

आई०आर०डी०पी० की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से कार्यालय भवन। (बिहार भवन) के निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई थी। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग से की जाती थी। प्रासंगिक मामले में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार अपने पत्रांक 20011/2/90 आई०आर०डी०पी०(ए०) 11 दिनांक 8.8.90 द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। कंडिका के निष्पादित माना जा सकता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.8.2– अवशीतन संयंत्र के लिए सहायिकी की सीमा कुल लागत की 50 प्रतिशत थी बशर्त्तें कि वह 2 लाख रु० से अधिक न हो : बाकी राशि का लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाना था। भागलपुर के पीरपैंती, कहलगाँव, बांका और अमरपुर प्रखंडों में अवशीतन

संयंत्र की स्थापना के लिए दुग्ध सहकारी संघ, भागलपुर को मार्च 1979 से मई 1981 की अवधि के दौरान 5.24 लाख रु० दिए गए थे। संयंत्र पीरपैती और बांका के लिए खरीदें गए थे और संयंत्र की कुल लागत सुनिश्चित किए बिना ही राज्य सरकार (मार्च 1984) के आदेश के तहत जुलाई 1984 में दुग्ध-सहकारी-संघ को पुनः 2.76 लाख रु० संयंत्रों की अधिप्राप्ति एवं खरीदे गए दो संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के बारे में एजेंसी की जानकारी नहीं थी। उसने फिर भी बताया (जून 1987) कि केन्द्रों में कोई संयंत्र कार्यरत नहीं थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भागलपुर के स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया था। उप-विकास आयुक्त, भागलपुर ने अपने पत्रांक 1152 दिनांक 30.11.95 द्वारा सूचित किया है कि मामले में आवश्यक छानबीन की जा रही है एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय पत्रांक 1119 दिनांक–6.2.97 द्वारा उन्हें पुनः स्मारित किया गया है। उनका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

1. उक्त आपत्ति के संबंध में विभाग प्रतिवेदन प्राप्त कर इसकी समीक्षा कर कारगर कार्रवाई करे।

2. की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अंदर अवगत करायें।

परिसम्पत्तियों का प्रत्यय सत्यापन

6.3.91—कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुवर्त्ती कार्य के एक हिस्से के रूप लाभान्वितों की आय में परिणामी वृद्धि तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने लाभान्वितों को आपूर्त्ति परिसम्पतियों के वार्षिक प्रत्यदा सत्यापन का आदेश दिया (अगस्त 1987)। जब पलामू, भागलपुर, गया और पटना में वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया था, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिले में यह 1984–85 तक तथा धनबाद में 1982-83 तक किया गया था। जहाँ प्रत्यदा सत्यापन किए भी गये थे वहाँ के प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सातवीं योजना में पुनः समपूरक सहायता देने के लिए छठी योजना में सहायता दिये परिवारों के सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि बहुत से मामलों में (व्योरे निम्नस्थ तालिका में) कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई परिसम्पत्तियाँ लाभान्वितों के पास नहीं थीं। फिर भी एजेंसी द्वारा लोक माँग वसूली अधिनियम के अंतर्गत लागत की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

	जिला	सर्वेक्षण किये गये 1982-83 से 1984-85 तक लाभान्वितों की संख्या	मामले की संख्या जहां लाभान्वित द्वारा परिसम्पत्तियों का निपटान किया गया।
1.	हजारीबाग	36,910	2,636
2.	पलामू	33,804	8,486
3.	मुजफ्फरपुर	22,541	2,598
4.	गया	33,815	8,222
5.	पटना	22,164	2,612

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों से पत्रचार किया गया है। प्रतिवेदन उत्तर होने पर दिया जाएगा।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

1 विभाग संबंधित जिला ग्रामीण अभिकरण से जानकारी प्राप्त कर कारगर कार्रवाई करें।

2. की गई कार्रवाई से समिति को ६ माह के अंदर अवगत कराये।

6.3.9.2- प्रत्येक लाभान्वित को सहायिकी का दुरुपयोग या परिसम्पति का दुर्विनियोग पर नियंत्रणपाने के लिए व्यक्ति रूप से सहायिकी भाग के लिए एवं बध-पत्र भरना था। इसे बैंक द्वारा एजेंसी को भेजा जाना था। भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना में बंध-पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे और मुंगेर, हाजरीबाग, पलामू, धनबाद और गया में केवल कुछ ही मामलों में बंध-पत्र प्राप्त हुए थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से पत्राचार किया गया है। प्रतिवेदन उत्तर प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

1. विभाग संबंधित जिला ग्रामीण अभिकरण से जानकारी प्राप्त कर कारगर कार्रवाई करे।

2. की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अंदर अवगत करावे।

6.3.9.2– प्रत्येक लाभान्वित हो सहीयिकी का दुरूपयोग या परिसम्पति का दुर्विनियोग पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्ति रूप से सहायिकी भाग के लिए एवं बध-पत्र भरना था। इसे बैंक द्वारा एजेंसी को भेजा जाना था। भागलपुर मुजफ्फरपुर और पटना में बंध-पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे और मुंगेर, हजारीबाग, पलामू, धनबाद और गया में केवल कुछ ही मामलों में बंध-पत्र प्राप्त हुए थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से पत्राचार किया गया है। (अन्तिम स्मार पत्रांक 898, दिनांक 30.1.97 द्वारा प्रेषित है)। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उत्तर भेजा जाएगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

1. विभाग संबंधित जिला ग्रा० वि० अभिकरण से प्रतिवेदन प्राप्त कर कारगर कार्रवाई करे।

2. की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अंदर अवगत करावे।

6.3.10– अवस्थापना

आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत क्रिया-कलापों के लिए तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मचारियों, यानी जैसी सामान्य अवस्थापना अवलम्ब सेवाएँ सरकार के नियमित विभागों से आनी थी। ऐसी सेवाओं के रिक्त स्थानों को भरने के लिए एजेंसी को आवंटन का दस प्रतिशत खर्च करने का अनुमानित थी। हजारीबाग को छोड़कर नमूना जांच किए गए किसी एजेंसी के भाग वार्षिक क्रिया योजना के भाग में न तो ऐसी अवलम्ब सेवाओं के लिए कोई प्रस्ताव था न ही डी०आर०डी० के प्रारंभ से ही नमूना-जाँच किए गए किसी डी०आर०डी० के प्रारंभ से ही नमूना-जांच किए गए किसी डी०आर०डी० के प्रारंभ द्वारा वैसा व्यय किया गया था। इससे यह पता नहीं चल पाया कि अवस्थापना सेवाओं के रिक्त स्थानों का निर्धारण को पूर्ण किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह सुझाव स्वरूप है। इसे दृष्टिकोण में रखकर अनुसरणात्मक कार्रवाई हो रही है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अन्य क्रिया-कलापें

6.3.11.1– डी०आर०डी०ए० स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (टी०आर०वाई०एस०ई०एम०) सिंचाई क्षमता (लघु सिंचाई योजना) की वृद्धि सुखा ग्रस्त क्षेत्रों (डी०पी०ए०पी०) का विकास तथा शिक्षित ग्रामीण अनियोजित के स्व-रोजगार की योजना के कार्यान्वयन में भी लिप्त थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका में अनुपालन का कोई बिन्दु निहित नहीं है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.11.2– डी०आर०डी०ए० को जिला ट्राईसेम समिति से परामर्श कर लाभान्वितों का पहचान करना एवं प्रशिक्षण के लिए व्यवसाय ढूंढ़ना था। तीन एजेंसियों (पटना, गया, मुजफ्फरपुर) के पास ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित लाभान्वितों या व्यवसाय की कोई सूची नहीं थी। डी०आर०डी०ए० पटना ने 1984–85 से प्रशिक्षण देना बंद कर दिया कुल मिलाकर 7 अभिकरणों में 1980–81 से 1985–86 की अवधि के लिए 30,564 ग्रामीण युवकों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 21,153 को ही प्रशिक्षण दिया जा सका था। प्रशिक्षण की समाप्ति पर यह देखने के लिए कि प्रशिक्षणार्थियों ने उसमें निपुणता एवं दक्षता प्राप्त की थी अथवा नहीं, उनके कार्यों की जांच की जाने की आवश्यकता थी। यह नहीं किया गया एजेंसियों ने वित्तीय संस्थानों से कर्ज की व्यवस्था कर प्रशिक्षित युवकों के स्व-रोजगार को सुनिश्चित नहीं किया गया। मुंगेर, हजारीबाग और पटना के 3 अभिकरणों में जहाँ प्रशिक्षित युवकों के रोजगार के ब्योरे थे, 12,369 प्रशिक्षित युवकों में से केवल 4,984 व्यक्तियों को ही स्व-रोजगार (40.1 प्रतिशत) दिया जा सका।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के प्रेषण के आलोक में वांछित कार्रवाई की जा रही है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

इस कंडिका के संबंध में समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि विभाग इस दिशा में कारगर कार्रवाई करेगी।

इसी आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.11.3–ग्रामीण गरीबों की आय में वृद्धि करने के लिए अभिकरणों की सिंचाई क्षमता की वृद्धि करनी थी। तीन अभिकरणों (हजारीबाग, मुंगेर और मुजफ्फरपुर) जिन्होंने खुदा-कुआँ, बंध कुआं, और पम्प सेटों पर 1985–86 में 294 लाख रुपये खर्च किये थे, के पास कोई अभिलेख नहीं था, जिससे सिंचाई क्षमता में परिणायी वृद्धि एवं अभिष्ट लाभान्वितों को आय भी परिणायी वृद्धि का पता लगाया जा सके।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग से संबंधित कंडिका है। संबंधित अभिकरणों यथा हजारीबाग, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर की प्रतिवेदन की कंडिकाओं का उद्धहरण भेजकर उनसे यथाशीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। सम्प्रति अनुपालन की सूचना अद्यावधि अप्राप्त है।

अनुपालन सुनिश्चित कर समिति को अवगत कराया जायगा।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

1. विभाग संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त करे और अपने स्तर से कारगर कार्रवाई करे।

2. की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अंदर अवगत करावे।

6.3.11.4–अभिकरणों पास सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के लिए विभिन्न निष्पादन अभिकरणों के निपटाने पर दी गई राशियों के समुचित उपयोग के बारे में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए न तो कोई साधन था न ही उन्होंने कार्य की प्रगति पर कई नियंत्रण ही रखा गया। उदाहरणार्थ, डी०आर०डी०ए०, मुंगेर और पलामू में, 31 मार्च 1986 को विभिन्न निष्पादन अभिकरणों के पास क्रमशः 97.78 लाख रुपये और 243.55 लाख रुपये के अग्रिम बाकी रह गए थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के लिए विभिन्न निष्पादन अभिकरणों को दी गई अग्रिम के विरुद्ध वर्ष 1993-94 तक स्वीकृत सभी योजनायें पूर्ण कर ली गई है। वर्ष 85–86 से 1993-94 तक की मुंगेर (सम्प्रति जमुई) में 263.46 लाख रु० की 51 योजनायें एवं पलामू में 1210.67 लाख रु० की 198 योजनायें पूर्ण हुई हैं, जिसमें कंडिका में वर्णित दृष्टांत भी सम्मिलित है।

वर्ष 1995-96 से इस कार्यक्रम के तहत जलछाजन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहा है, जिसमें निष्पादन अभिकरणों की भूमिका नहीं है।

अतः इस कंडिका को निष्पादित समझा जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.11.5– 7 अभिकरणों (गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, धनबाद, मुजफ्फरपुर और पलामू) के अभिलेखों से पता चला कि 1981–82 और 1982–83 के दौरान तकनीकी रूप से प्रशिक्षित 792 बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिए ऋण के रूप में 47.05 लाख रुपये संवितरित किए गए थे। यद्यपि ऋण की वसूली ब्याज के साथ उसके भुगतान की तिथि से 2 वर्ष बाद 10 छमाही किस्तों में की जानी थी, पर 4 जिलें : गया, हजारीबाग, मुंगेर और पलामू में कर्ज की ब्याज के साथ वसूली अब तक नहीं की (जून 1987)। अन्य तीन जिलों में, जहाँ 485 लाभान्वितों को 32.48 लाख रुपये के कर्ज दिए गए थे केवल 55 लोगों से ही आंशिक वसूली प्राप्त हुए थे।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से पत्राचार किया गया है। उनसे उत्तर प्राप्त होने पर प्रतिवेदन दिया जाएगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

1. विभाग जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्रतिवेदन प्राप्त कर कारगर कार्रवाई करे।

2. की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अंदर अवगत करावे।

6.3.12– निरीक्षण

कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जून 1983 में नेगी निरीक्षण के अतिरिक्त क्षेत्र पर्यवेक्षण पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक महीने के लिए क्षेत्र निरीक्षण का लक्ष्य निश्चित किया एवं बिन्दुओं की जाँच सूची निर्धारित की। कोई भी अभिकरण वैसे निरीक्षणों का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह सुझाव स्वरूप है। इसे दृष्टिकोण में रखकर कार्रवाई की जा रही है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.13 अनुश्रवण

डी०आर०डी०ए० द्वारा (मूल सूचक के संबंध में) राज्य सरकार को विहित प्रपत्र में कार्य का मासिक (अगले महीने की 25 तारीख की) तिमाही (अनुवर्त्ती तिमाही की 20 तारीख को) और वार्षिक (प्रत्येक वर्ष के 20 अप्रैल को) निष्पादन प्रतिवेदन भेजा जाता है। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि 1985-86 और 1986–87 के दौरान सभी 8 डी०आर०डी०ए० के मामलों में मासिक प्रतिवेदनों में 30 से 150 दिनों, तिमाही प्रतिवेदनों में 2 से 150 दिनों और वार्षिक प्रतिवेदनों में 12 से 195 दिनों का विलंब हुआ था। डी०आर०डी०ए० के कार्यकलाप में सुधार एवं समय पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुवर्त्ती कार्रवाई, जैसी कि आवश्यकता थी, की गई या नहीं यह दर्शाने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं था।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका में संदर्भित बिन्दुओं पर प्रत्येक माह में राज्य स्तर पर बैठक आहुत की जाती है और प्रतिवेदन प्राप्त कर तिमाही, छमाही एवं वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार को निरन्तर भेजी जाती है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

6.3.14– मूल्यांकन

सरकार ने बताया (मई 1987) कि मूल्यांकन का कार्य राज्य योजना बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। तिथि/ वर्ष जब बोर्ड द्वारा मूल्यांकन का कार्य आरंभ किया गया सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। मूल्यांकन प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसंबर 1987)।

सरकार को मामले की सूचना सितम्बर 1987 में दी गई थी, जबाब प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1987)।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है। इस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग मूल्यांकन के संबंध में कार्रवाई करे। विभाग से समिति अपेक्षा करती है कि मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्रवाई करेगी। इसी आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) खण्ड–3 की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

ग्रामीण विकास विभाग

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 की सिविल कंडिकाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन

क्रमांक–1, कंडिका सं०–1, 18–राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियाँ राज्य सरकार विकासीय तथा गैर-विकासीय क्रिया-कलापों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्वायतशासी निकायों, सहकारिता, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को अग्रिम कर्जे दिया करती है। 1984–85 से 1988–89 पाँच वर्षों के लिए वैसे कर्जों की स्थिति नीचे दी गयी है :—

31 मार्च, 1989 को दिये गये कर्जे पेशगियों के मुकाबले अतिदेय कुल राशि की वसूली के संबंध में कोई सूचना जिसका विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखा जाता है। 1973–74 से प्रस्तुत नहीं की गयी है। राज्य सरकार के विकासीय तथा गैर-विकासीय क्रिया-कलापों के लिए 14.71 करोड़ रु० विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए कर्ज दिया (31 मार्च, 89) वर्ष के दौरान 0.14 करोड़ रु० की वापसी हुई तथा ब्याज की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

सरकार द्वारा जिला परिषदों को वर्ष-वार निम्नांकित राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई :—

	क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत राशि
क.	1.	85–86	1,21,81,313
	2.	86–87	2,35,86,000
	3.	87–88	1,26,10,338
	4.	88–89	3,18,087

जिला परिषदों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए समिति के प्रतिवेदन सं०–284, क्रमांक–1, में 1982–83 तक जिला परिषदों के जिम्मे बकाया के जिम्मे बकाया ऋण एवं सूद का राशि के अपलेखन की अनुशंसा की गई थी, जिसके अनुशरण में वर्ष 95–96 तक का स्वीकृत ऋण सूद सहित ऋण 20.16,863, 50 करोड़ + सूद 10,79, 97, 433.91 (करोड़) अपलेखन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।

वित्त विभाग का परामर्श है कि जिला परिषदों को राजकीय खाते से दी जाने वाली वित्तीय सहायता, निजी स्रोत से वसूली जाने वाली राशि एवं दशम् वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए अपलेखन की अनिवार्यता पर विचार किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

जिला परिषदों के जिम्मे बकाया ऋण राशि की वसूली समीक्षोपरान्त, अपलेखन संबंधी निर्णय लिए जाने के पश्चात ही की जा सकेगी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :— (1) विभाग वित्त विभाग के माध्यम से अपलेखन को कारगर कार्रवाई करे।

क्रमांक–2, 2.2.2–फरवरी 1989 में मामले (परिशिष्ट–2) में प्राप्त 214.23 करोड़ रुपये की धन-व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई .... फलस्वरूप 166.92 करोड़ रुपया के अधिक व्यय को पूरा करना बाकी रह गया।

ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार विभाग (अनुदान–49) में 2300 करोड़ रु० का अनुपूरक व्यवस्था अनावश्यक साबित हुई क्योंकि विभाग में 29.39 करोड़ रु० की बचत हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 1988–89 में गैर-योजना/योजना 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (अनुदान सं०–44) के पंचायती राज निदेशालय से संबंधित उप-शीर्षों के मूल उपबन्ध, अनुपूरक धन व्यवस्था एवं व्यय एवं बचत की स्थिति निम्न प्रकार है :—

गैर-योजना	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	व्यय बचत
1. मुख्यालय पंचायत स्थापना जी० या० भत्ता	7,75,500	1,19,760	8,95,260
2. जि० पंचायत स्थापना जी० या० भत्ता	6,07,80,000	80,00,000	6,87,80,000
3. कर्मचारियों का प्रशिक्षण योजना	24,67,500	4,06,850	28,74,350
(अन्य क्षेत्रीय)			
1. मुख्यालय पंचायत स्थापना यात्रा व्यय	—	15,000	15,000
जन-जातीय			
2. जि० पंचायत स्थापना वेतन	—	35.000	35,000–
जी० या० भत्ता	—	15,400	15,400–
यात्रा व्यय	—	4,000	4,000–
मोटर वाहिनी	2,50,000	3,00,000	5,50,000–
	6,42,73,000	**88,96,210**	**7,31,69,210–**

उपर्युक्त से विदित होगा कि 6,42,73,000 रु० के मूल अनुदान के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 88,96,210 रु० की अनुपूरक धन व्यवस्था की गई है और मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान की कुल राशि 7,31,69,210 रु० पूरी की पूरी व्यय की गई। कोई बचत नहीं हुई।

इस प्रकार इन उप-शीर्षों में अनुपूरक धन व्यवस्था अप्रयुक्त सिद्ध नहीं होती है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति द्वारा कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

(क) 2.2.2 (ii) फरवरी, 1989 में 24 मामलों में प्राप्त 214.23 करोड़ रुपये की अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुए और मामलों में अनावश्यक अतिरिक्त निधियाँ 349.79 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान विनियोग के मुकाबले 209.75 करोड़ रुपये था। प्रत्येक मामले में बचत 10 लाख रुपये से अधिक था।

ग्रामीण विकास विभाग पूरकअनुदान विनियोग (करोड़ रुपये में)	बचत
23.08	29.39

विभागीय स्पष्टीकरण

अनुपूरक धन व्यवस्था होने के बावजूद समय की कमी के कारण बचत होती है। जिसे सरकार को प्रत्याशित कर दी जाती है। भविष्य में ऐसा न हो इस पर ध्यान दिया जायेगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–3, (क) **2.2.4,** निम्नलिखित अनुदानों में से व्यय प्रत्येक 1 करोड़ रु० से अधिक और कुल प्रावधान का 10% से अधिक कम हो गया।

क्रमांक अनुदान का विवरणी	बचत की रकम (करोड़ रु० में) धन व्यवस्था की प्रतिशत
27 : 44ग्रा० वि० 606.30	22.63
भूमि सुधार।	136.88

बचत का कारण

मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण और ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम के लिए प्रावधान की नयी योजना यथा जवाहर रोजगार योजना जिसके लिए अनुपूरक प्राप्त किया गया था, द्वारा उनके प्रतिस्थापना के परिणाम स्वरूप व्यय हो जाने (168.75 करोड़ रु०) जवाहर रोजगार योजना के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए समेकित विकास कार्यक्रम से निधियों के प्रावधान का अभ्यर्जन 15.58 करोड़ रु० के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से निधियों के लिए मांग की अप्राप्त 18.57 करोड़ रु० रिक्त रखे गये पदों 4.60 करोड़ रु०–

विभागीय स्पष्टीकरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य में 687.414 लाख रु० नये पथों के निर्माण में 152.30 नये पुल पुलियों के निर्माण में 299.50 लाख पुराने पथों का सुदृढ़ीकरण 255.00 लाख यंत्र-संयंत्र 0.54 लाख जिलाधिकारी

द्वारा अनुदान–90.00 लाख रु० विश्व बैंक परियोजना 126.20095 लाख रु० कैश, 6.65 मो० स्थापना 5.40 यानि कुल–1623.00495 लख रु० की प्रत्यार्पण किया गया जिसका मुख्य कारण योजना मद में कटौती, विश्वबैंक का स्थापना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्थापना में समायोजित होने के कारण हुआ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–3, (ख) **2.2.5** उपर्युक्त कंडिका 2.2.4 में वर्णित मामलो के अलावे निम्नलिखित मामलों में या तो योजनागत योजनाओं के अक्रियान्वयन या धीमे क्रियान्वयन के कारण यथेष्ट बचत हुई :—

अनुदान	योजना का नाम	प्रावधान बचत राशि (करोड़)	की बचत की प्रतिशता रु० में)
4.4 ग्रामीण विकास और भूमि सुधार	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग 4515 अन्य ग्रा० विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय च च (2) न्यूनतम आवश्यकता—	32,45,9, 21	28,38
45 ग्रामीण विकास और भूमि सुधार विकास कार्यक्रमों	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग 4595 अन्य ग्रा० पर पूंजीगत परिव्यय च च (2) न्यूनतम		

(ख) 2.2.5 योजनागत योजनाओं के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन के कारण यथेष्ट बचत हुई—

शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	बचत की राशि (करोड रु० में)	बचत की प्रतिशत (करोड रु० में)
2501	समेकित ग्रा० विकास कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के लिये विशेष समेकित योजना (लघु कार्य)	10.00	4.60	40.00
4515	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— 32.45	9.21	28.38	
	X	X	X	

विभागीय स्पष्टीकरण

योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित वित्तीय वर्ष–1988-89 के अन्तिम अनुदान, व्यय एवं बचत की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1.	2.	3.	4.	5.
अन्य क्षेत्रीय				
1. पंचायतों का प्रेरण–दायक अनुदान।		8,35,000	1,30,699	7,04,301
2. बिहार पंचायत राज बोर्ड को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु अनुदान–		3,50,000	—	35,50,000
3. जिला परिषद् कार्यालय भवन निर्माण हेतु अनुदान—		9,00,000	—	9,00,000
जिला पंचायत भवनों के निर्माण हेतु जिला परिषदों को अनुदान—		11,00,000	—	11,00,000
4515–अन्य ग्रामीण विकास 5 : ग्रामीण कार्यक्रमों हेतु जिला परिषदों को अनुदान—			1,20,00,000, 10,69,000	1,09,31,000

2515 जन-जातीय क्षेत्रीय

6 : पंचायत भवनों के निर्माण हेतु पंचायत भवनों के निर्माण हेतु जिला परिषदों को अनुदान –3,00,000 300690000

मुख्य शीर्ष 2515 मद की राशियों योजना उद्व्यय में कटौती होने के कारण एवं 4515 मद की राशि पूर्व वर्ष में स्वीकृत राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ माँग प्राप्त नहीं होने के कारण राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी और शेष राशि प्रत्यापित करनी पड़ी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्य नहीं हो जाने तथा मदों की संख्या में कमी रहने के कारण योजना उद्व्यय को परिवर्त्तनशीलता के चलते कुछ बचत होती है जिसे व्ययगत होने से बचाने के लिए सरकार को प्रत्यार्पित कर दिया जाता है। भविष्य में ऐसा न हो इस पर ध्यान दिया जाएगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–4

कंडिका 2.2.6 **अर्केक्षण आपत्ति**

निम्नलिखित मामलों में 50 लाख रुपये और उससे अधिक की समुची धन

व्यवस्था का उपयोग नहीं हो सका :—

क्रमांक अनुदान संख्या और लेखों धन व्यवस्था (लाख रुपये में) अभ्युक्तियों का शीर्ष

23 अनुदान संख्या–44

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम च–6–78 जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना च–6 (8) विशेष योजनायें 1·37·00

विभागीय स्पष्टीकरण

योजना उदव्यय में कटौती के कारण 5.68.785 रुपये की राशि व्यय नहीं की जा सकी

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

भविष्य में इस अवधि में बचने के लिये विकास का बटन प्रक्रिया में सुधार लाना होगा। समिति अब उक्त निर्देश के आलोक में इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–5– 22.10 (य)

2.2.6 बचतों का अन्यायों अत्यधीक अभ्यपर्ण

अनुदान में प्रत्येक 1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत अभ्यार्पित किये बिना रह गयी।

क्र०सं० अनुदान की संख्या एवं नाम बचत अभ्यार्पित बचत

(करोड़ रुपये में)

15.44 ग्रामीण एवं भूमि सुधार 29.39 2.29

समय की कमी के कारण के बिना अभ्यार्पित किए बचत हुई।

भविष्य में ऐसा न होवे इसपर ध्यान दिया जायेगा।

(क) नियमानुसार बचत की संभावना ज्योंही देखी जाये सभी पूर्वानुमानित बचतें अभ्यर्पित कर दी जानी चाहिए। 1988–89 में अभ्यर्पित 478.65 करोड़ रुपए में से मार्च 1989 में 327.37 करोड़ रु० (कुल बचत का 69.39 प्रतिशत) अभ्यर्पित किए गए।

(ख) अन्यायोचित /अत्यधिक अभ्यर्पण

बिहार सरकार के विनियोग लेखे 1988–89 में संबंधित अनुदान के अन्योचित/अत्यधिक अभ्यर्पण के उदाहरण नीचे दिए गए है :—

(ग) निम्नलिखित अनुदानों में प्रत्येक 1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत अभ्यर्पित किए बिना रह गयी :—

क्रम सं० अनुदान की संख्या और नाम बचत अभ्यर्पित बचत

(करोड़ रुपए में)

15. 44– ग्रामीण विकास और भूमि सुधार 2.29 2.29

वित्तीय वर्ष 1988–89 में गैर-योजना/योजना 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम मुख्य शीर्ष (अनुदान सं०–44) को पंचायत राज निदेशालय से संबंधित उपशीर्ष के बचत एवं अभ्यर्पण की स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	उपशीर्ष	बचत	अभ्यर्पित राशि (करोड़ में)	अभ्यर्पण की तिथि
1.	2. 3.	4.	5.	
गैर-योजना				
(i)	मुख्यालय पंचायत स्थापना	0.020	0.120	31.3.89
(ii)	जिला पंचायत स्थापना	2.083	2.083	31.3.89
(iii)	गैर-सरकारी सदस्यों का प्रशिक्षण	0.023	0.023	31.3.89
(ii/)	जिला परिषदों के गैर-शिक्षण कर्म–चारियों के वेतन भत्ते हेतु अनुदान	0.80	0.80	31.3.89
(i/)	लेखापाल परीक्षा	0.0002	0.0002	31.3.89
(i/i)	पंचायत भवनों का अनुरक्षण	0.2625	0.2625	31.3.89
(i/ii)	विशेष साहाय्य अनुदान	0.01	0.01	31.3.89
(i/iii)	पंचायती राज माहाय्य अनुदान (प्रमुखों का भत्ता)	1.33	1.33	31.3.89
(ix)	साहाय्य अनुदान	0.0012	0.0012	31.3.89
(x)	ग्रामीण सड़कों हेतु जिला परिषदों को अनुदान	0.0865	0.0865	31.3.89
(xi)	ग्रामीण भवनों हेतु जिला परिषदों को अनुदान	0.0350	0.0350	31.3.89
(xii)	8515–जिला एवं स्थानीय निधि समितियों को उधार	1.1750	1.1750	31.3.89
(xiii)	(2014–जिला परिषदों को शुल्क, जुर्माना के बदले सहायक अनुदान	0.0583	0.0583	31.3.89
(xii/)	(3604–भू राजस्व-पंचायतों का लगान का $6\frac{1}{4}$	0.45	0.45	31.3.89
	2515-योजना-अन्य क्षेत्रीय			
(xi/)	मुख्यालय पंचायत स्थापना	0.019	0.019	31.3.89
(xi/i)	जिला पंचायत स्थापना	0.00003	0.00003	31.3.89

(xi/ii) पंचायतों को प्रेरणादायक अनुदान	0.0704	0.0150	17.12.88
(xi/iii) बिहार पंचायत राज बोर्ड को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु अनुदान	0.0350	0.0350	17.12.88
(xix) जिला परिषद कार्यालय भवन हेतु अनुदान	0.09	0.09	29.3.89
(xx) पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	0.11		29.3.89
(xxi) गैर-सरकारी सदस्यों का प्रशिक्षण जानकारी	0.01	0.01	31.3.89
(xxii) गैर-सरकारी सदस्यों का प्रशिक्षण	0.026	0.026	17.12.88
(xxiii) पंचायत भवनों हेतु जिला परिषदों को अनुदान	0.03	0.03	26.11.88
	6.72513	6.72513	

4515–अन्य ग्रामीण विकास

अन्य क्षेत्रीय

(xxii/) जिला परिषदों को ग्रामीण सड़कों हेतु अनुदान	0.1069	0.1069	31.3.89

उपरोक्त से विदित होगा कि बचत की पूरी की पूरी राशि अभ्यर्पित कर दी गई है। उन अभ्यर्पित राशि शून्य है। प्रत्यार्पित 6, 72,51,300 की राशि में से क्र०–xi/ii, xi/iii, xxii, xxiii, की 33,20,000 की राशि मार्च 89 के पूर्व नवम्बर-दिसम्बर 88 में ही प्रत्यार्पित कर दी गई है। शेष राशियाँ जो स्थापना मद में क्र० (i) एवं (ii), (xi/), (xi/i) में है और अति न्यून है, अंत तक पदो के भरे जाने की संभावना के कारण एवं अन्य मदों अनुदान आदि में मांग प्राप्त होने की एवं स्वीकृत किये जाने की अंततः संभावना के कारण मार्च 89 के पहले प्रत्यार्पित नहीं की जा सकी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–6, 2.3 आकस्मिक निधि से अग्रिम

"बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982" द्वारा राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकार लंबित रहने तक प्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु सरकार के अधीन रख गए, आकस्मिकता निधि का स्थायी निकास 350 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। अध्यादेश विधान मंडल के समक्ष अनुसमर्थन हेतु नहीं रखा गया, फलस्वरूप 31 मार्च, 1989 को व्ययगत हो गया।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल बजट में प्रावधान नहीं किए गए अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु किया जा सकता है और उसे इस प्रकार के तात्कालिक चरित्र का होना चाहिए कि जिसका विधान मंडल द्वारा दत्तमत्त होने तक स्थगन अवांछनीय हो।

वर्ष के प्रारम्भ में 252.11 करोड़ रुपये का अग्रिम वापस किए जाने के लिए बकाया था। ये 1988-89 के दौरान सामंजन द्वारा वापस कर दिये गये।

1988–89 के दौरान सात सौ उनसठ संस्वीकृतियाँ आकस्मिकता निधि से 646.63 करोड़ रुपये का अग्रिम के रूप में निर्गत की गयी थी। यह देखा गया कि—

(1) 14.43 करोड़ रुपये की एक सौ पाँच संस्वीकृतियाँ न तो प्रचालित की गयी और नहीं उन्हें अभ्यर्पित / रदद किया गया।

(2) 20.12 करोड़ रुपये की ग्यारह संस्वीकृतियाँ प्रचालित नहीं की गयी और बाद में अभ्यर्पित कर दी गयी।

(3) आठ संस्वीकृतियों के संबंध में 23.62 करोड़ रुपये के अग्रिम में से 11.29 करोड़ रुपये अभ्यर्पित कर दिये गये।

(क) कुल 23.48 करोड़ रुपये की वाईस संस्वीकृतियाँ विधान मंडल द्वारा अनुदान की मांग पर मतदान लंबित रहने तक निर्गत की गयी। जुलाई 1988 में विनियोग अधिनियम के कारण के साथ इन अग्रिमों की निधि को प्रत्यादान कर दिया गया।

(ख) अंतग्रस्ति 286.91 करोड़ रुपये की तीन सौ अड़सठ संस्वीकृतियाँ जिसके विरुद्ध 260.03 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, वर्ष के अंत में निधि को वापस किए जाने के लिए बकाया था (परिशिष्ट–6) इन्हें 1988–89 में वापस कर दिया गया।

(ग) अग्रिम कुल 252.11 करोड़ रुपये जो 1984–85 (0.02 करोड़) और 1987–88 (2,52.09 करोड़ रुपये) के थे। वर्ष 1987-88 के अंत तक आकस्मिकता निधि को समंजन द्वारा वापस करने के लिए बकाया थे।

1984–85 के दौरान संस्वीकृत 0.02 करोड़ रुपये का बकाया अग्रिम वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद कि ये वास्तव में रदद/अभ्यर्पित कर दिए गए थे, निधि को प्रत्यादान कर दिये गये। 1987–88 के दौरान संस्वीकृत 2,52,09 करोड़ रुपये के बकाया अग्रिम अनुपूरक अनुदान द्वारा मार्च 1989 में निधि की वापस कर दिये गये। एक अध्यादेश (4 मार्च 1989) जो वर्ष 1988–89 के अंत तक लागू रहा के द्वारा निधि के निकाय को अस्थाई तौर पर 1,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। फलस्वरूप अप्रैल, 1988 से फरवरी 1989 के मध्य केवल 97.91 करोड़ रूपये ही उक्त अवधि के दौरान नये अग्रिम स्वीकृत किए जाने के लिए उपलब्ध था।

तथापि, उपलब्ध शेष से अधिक अग्रिम दिया गया जैसाकि नीचे वर्णित है :—

अवधि	शेष	स्वीकृत अग्रिम (करोड़ रुपये में)	वापसी	आधिक्य
जून 1988 तक	97.91	1,02.95	—	5.04
जुलाई और अगस्त, 1988	(–) 5.04	20.98	23.48 (नियम–6 ख के अन्तर्गत)	2.54
सितम्बर, 1988 से फरवरी,	(–) 2.54	3.00.30	—	3,02.84

विभागीय स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 1988-89 के निम्नांकित मदों में निम्नलिखित राशियाँ बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई जो पूरी की पूरी वित्तीय वर्ष में व्यय कर दी गई :—

क्रमांक	उपशीर्ष	स्वीकृत अग्रिम बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम	व्यय
1.	2	3	4.
1.	योजना (अन्य क्षेत्रीय)		
	मुख्यालय पंचायत स्थापना		
	यात्रा व्यय—	15,000	15,000
जन-जातीय			
2.	जिला पंचायत स्थापना		
	वेतन—	35,200	35,200
	जी० यापन भत्ता—	15,400	15,400
	यात्रा व्यय—	4,000	4,000
	मोटर वाहिनी—	3,00,000	3,00,000

अग्रिम की स्वीकृति के साथ ही इसके सामंजन हेतु अनुपूरक उपबंध की स्वीकृति का अनुरोध वित्त विभाग को कर दिया गया था।

(पंचायत राज निदेशालय द्वारा)

बिहार आकस्मिकता निधि से आम क्षेत्रीय उपयोजना में 261.979 लाख एवं जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना में 110.456 लाख यानि कुल 372.435 लाख रु० अग्रिम लेकर अनुपूरक बजट आगरमन में सामंजित करने के लिए वित्त विभाग को भेजा गया। कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जाती है।

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)

वित्तीय वर्ष 1988-89

क्रमांक–	मुख्य बजट शीर्ष	कार्यक्रम / प्राथमिक इकाई	बजट उपबंध 1988-89	प्रत्यार्पित राशि
1.	शीर्ष 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
		प्रखण्ड भवन निर्माण (भवन)	10000000	7350000
		कार्यालय व्यय (प्रखण्ड जीप)	9700000	8608000
		प्रखण्ड भवन (आवास)	20000000	14850000
		बहुउद्देशीय परियोजना		

		(विशेष योजनायें)	13700000	900000
2.	शीर्ष 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 800 (ग) ग्रामीण निर्माण	ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम	1086407000	3075220
3.	शीर्ष 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	विशेष क्षेत्र आंतकवादी	50000000	19800000
4.	शीर्ष 2505 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	कार्यालय व्यय	183000	120000
		यात्रा व्यय	80000	50000
		अन्य प्रभार	30000	30000
		मुख्यालय स्थापना	526300	412500

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस निर्देश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में ऐसी अनियमितता नहीं हो इसके लिए कारगर कार्रवाई करे।

क्रमांक–7. 2.4—नयी सेवा/नयी सेवा यंत्र पर व्यय—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत "नयी सेवा" पर व्यय जिसे उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण (अर्थात बजट) और सेवा के नये यंत्र पर विचार नहीं किया गया था। विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है। राज्य के लेखा समिति ने अपनी 30 वीं रिपोर्ट में "नयी सेवा" के रूप में गिनती की जाने वाले व्यय के लिए आर्थिक सीमा की अनुशंसा की थी। इस प्रकार निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार एकमुश्त धन व्यवस्था से वित्त पोषित 1 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाली सभी योजनायें नयी सेवा के रूप में माना जाना चाहिए और इसकी जानकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद विधान मंडल को दी जानी चाहिए। 1·00 लाख रुपये से अधिक के प्रत्याशित लागत वाले (विद्युत् योजनाओं सहित) नये निर्माण कार्यों और 2.00 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले सुधार निर्माण कार्यों को नयी सेवा कहा जायेगा।

1988-89 की विनियोग लेखों की जाँच परीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि 30 मामलों में 119.97 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यों पर 187.92 करोड़ रुपये इन मामलों के विवरण परिशिष्ट–2.6 में दिये हुए हैं।

न तो योजनाओं/निर्माण कार्यों के नाम, जिसके लिए एकमुश्त धन-व्यवस्था की गयी थी बजट में प्रदर्शित की गयी थी (परिशिष्ट–2.6 के क्रम सं०–27, 28 और 30 के अलावा) और न ही ऐसे मामलों का विधान मंडल की जानकारी में अबतक दिया गया है (अक्टूबर 1991)।

विभागीय स्पष्टीकरण

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत विभिन्न इकाईयों के बजट प्रावधान एक मुश्त में की जानी है क्योंकि ग्रामीण पथ / पुलों के योजनाओं काफी छोटी-छोटी एवं अधिकांश कम लागत की योजनाएं होती हैं। ऐसे योजनाओं की संख्या हजारों में है जिसके लिए अगर एक लाख से ऊपर के सभी योजनाओं का विस्तृत बजट बनाया जाय तो वह एक मोटी पुस्तक बन जायेगी और बजट तैयार करने में काफी कठिनाई होगी, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्रा०अ०संगठन के योजना मद से योजनाएं स्वीकृत होती हैं। इनका अलग-अलग स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाता है जिसके आधार पर योजनाओं के आवंटन/व्यय का नियंत्रण रखा जाता है।

एक लाख रुपये से ऊपर की इस संगठन में सभी योजनायें आ जायेगी। जिसके बजट तैयार करने में ज्यादा खर्च एवं मानव दिवस लगेगा उसके अनुपात में आर्थिक लाभ का आशा कम है। अतः ग्राम्य अभियंत्रण संगठन में एक मुश्त बजट प्रावधान का (ईकाईवार) प्रावधान का "ईकाईवार प्रावधान की व्यवस्था के लागू रखने न तो योजनाओं/निर्माण कार्यों के नाम, जिसके लिए एकमुश्त धन व्यवस्था की गयी थी बजट में प्रदर्शित की गयी थी। (परिशिष्ट 2.6 के क्रम संख्या–27, 28 और 30 के अलावा (और न ही ऐसे मामलों का विधान मंडल की जानकारी में अबतक दिया गया है (अक्टूबर, 1991)। के लिये प्रावधानों को स्थित रखने की अनुशंसा की जाती है। इकाईवार योजनाओं का नियंत्रण आसानी से किया जा सकेगा। भविष्य के लिये समिति का मार्गदर्शन अपेक्षित है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

एक लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाली सभी योजनाओं, सभी नयी सेवा के रूप में मानी जाती है और वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद इसकी जानकारी विधान मंडल को दी जानी चाहिए किन्तु प्रायः ऐसा नहीं किया जाता है।

(1) विभागीय स्पष्टीकरण तथा आपत्ति को देखते हुए समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि इस दिशा में विभाग कारगर कार्रवाई करे।

(2) समिति उक्त निदेश के आलोक में अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–8, 2, 7, बचत / आधिक्य के लिए अप्राप्त स्पष्टीकरण :—

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात अंतिम अनुदानों / विनियोगों वास्तविक व्यय और परिणामी परिवर्तनों की उपशीर्षवार दिखाते हुए विस्तृत विनियोग लेखे नियंत्रण अधिकारी के पास विशिष्ट परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। 746 उपशीर्षों में से 830 मामलों में विस्तृत विवरण हेतु कृपया विनियोग लेखा 1988-89 देखें (परिवर्तनों का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 1992) पूर्व के चार वर्षों के लेखाओं में भी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण अधिकांश मामलों में प्राप्त नहीं हुआ था कि नीचे दिखाया गया। .... लोक-लेखा समिति ने अपने 42 वें प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की थी कि वित्त विभाग को यह निश्चित करना चाहिए कि सभी विभागों द्वारा बचत / आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार को भेजा जाय।

उपयोगिता पत्रों की आपत्ति के कारण नये अनुदानों एवं कर्जों की गैर-नियुक्ति 3.49 करोड़ रु० योजना अधिसीमा में रखी (3.39 करोड़ रु०) और विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्यों के कारण 6.29 करोड़ रुपये के व्यय के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।

अगस्त, 1992।

2.7 बचत/आधिक्य के लिये अप्राप्त स्पष्टीकरण

वर्ष	मामलों की संख्या जिसमें स्पष्टीकरण वांछित है।	मामलों की संख्या जिनमें स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।	प्रतिशत
1984–85	568	482	84.86 प्रतिशत
1985–86	691	595	86.11 प्रतिशत
1986-87	512	472	90.19 प्रतिशत
1987-88	743	657	88.43 प्रतिशत

लोक-लेखा समिति ने अपने 242 में प्रतिवेदन वें यह अनुशंसा की थी कि वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विभागों द्वारा बचत/आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार को भेजा जाय।

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रारूप विनियोग लेखा 1988-89 के उत्तर में बचत एवं आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार को भेजा गया था जिसके समीक्षोपरान्त वित्त विभाग द्वारा दिखाये गये अधिकाई व्यय को उत्तर निदेशालय के पत्रांक–2497, दिनांक–13.5.96 द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया है। (पंचायती राज निदेशालय द्वारा)

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अंतिम अनुदान/विनयोग से कम/आधिक्य व्यय उक्त वर्ष में प्रमण्डलों द्वारा समर्पित लेखा का रिकांसीलिएशन समय पर पूरा नहीं होने के चलते, कारणों की जानकारी समय अन्तराल हो जाने से कठिनाई हो रही है।

उपर्युक्त के अनुश्रवण में सम्प्रति प्रमण्डलो से वास्तविक व्यय विवरणी प्राप्त की जाती है एवं समय पर रिकांसीलिएशन कराने के लिये प्रमण्डलों को उचित निदेश पत्रांक–401, दिनांक–1.2.97 द्वारा भेजा गया है। भविष्य में इसके कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया रहेगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है साथ ही विभाग से अपेक्षा करती है कि इसकी समय-समय पर समीक्षा भी करे।

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अंतिम अनुदान/विनियोग से कम/आधिक्य व्यय उक्त वर्ष में प्रमण्डलों द्वारा समर्पित लेखा का रिकांसीलिएशन समय पर पूरा नहीं होने के चलते,

कारणों की जानकारी समय अन्तराल हो जाने से कठिनाई हो रही है।

उपर्युक्त के अनुश्रवण में सम्प्रति प्रमण्डलों से वास्तविक व्यय विवरणी प्राप्त की जाती है एवं समय पर रिकांसीलिएशन कराने के लिये प्रमण्डलों को उचित निर्देश पत्रांक–40.1, दिनांक–1.2.97 द्वारा भेजा गया है। भविष्य में इसके कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान रहेगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है साथ ही विभाग से अपेक्षा करती है कि इसकी समय-समय पर समीक्षा भी करें।

क्रमांक–9, 2.8– वर्ष 1988–89 के दौरान विभागीय आँकड़ों का लेखा विभाग के आँकड़ो के साथ मिलान कर समाधान :—

विभाग	विनियोग की इकाईयाँ	राशि जो समाधानित नहीं हुई (करोड़ रु० में)	लेखों की अवधि जिसमें व्यय संबंधित है

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम अनुदान/विनियोग से कम व्यय उक्त वर्ष में प्रमण्डलों द्वारा समर्पित लेखा का रिकांसीलिएशन समय पर पूरा नहीं होने के चलते कारणों की जानकारी समय अन्तराल हो जाने से कठिनाई हो रही है।

उपर्युक्त के अनुश्रवण में सम्प्रति प्रमण्डलों से वास्तविक व्यय विवरणी प्राप्त की जाती है एवं समय पर रिकोन्सीलिएशन कराने के लिये प्रमण्डलों को उचित निदेश पत्रांक–401, दिनांक–1.2.97 द्वारा भेजा गया है। भविष्य में इसके कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान रहेगा।

2 : वित्तीय वर्ष 1988-89 के विभागीय व्यय के लेखे का महालेखाकार के आँकड़ों से सत्यापन किया गया है एवं सत्यापन दल द्वारा लेखे की प्रविष्टि में संशोधन हेतु आवश्यक सुझाव सत्यापन दल द्वारा दि०–11.7.90 को महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किया गया था।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागों को आँकड़ों का मिलान समय पर करना आवश्यक है। विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–10, 3.23.1 से 3.23.5 तक प्रस्तावना

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) भारत सरकार द्वारा अगस्त 1983 में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसर को उन्नत और विस्तृत करना था और प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक रोजगार की गारंटी देनी है।

2. जिलों में 4.58 लाख रु० का पौधा (सीडलिंग) स्थल के गलत चुनाव करने के कारण बाढ़ में बह गया।

(कंडिका–3.23.8.5) ×)।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह प्रेक्षाणात्मक है।

इसे कृपया निष्पादित माना जाय। आगे की कंडिकाओं पर उपलब्ध विभागीय प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

प्रस्तावना, संगठनात्मक व्यवस्था, लेखा परीक्षा की विशिष्टताएँ आदि हैं। इस लेखा परीक्षा की कोई टिप्पणी नहीं है।

इसे समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–11, 3.23.6– आर०एल०ई०जी०पी० एक केन्द्रीय योजना (जो पूर्णरूपेण केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता का (अनाज के मूल्य सहित) वर्षवार निर्गमन और उनका 1983–84 से 1988–89 के दौरान उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

वर्ष	अधिशेष	बजट व्यवस्था	अनाज के मूल्य सहित प्राप्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)
1983–84	शून्य	1425.00	1425.00
1984-85	1425.00	7500.00	5769.53
1985-86	2915.28	7500.00	7974.73
1986-87	6231.75	6775.00	9319.68
1987-88	7165.55	6775.00	8728.94
1988-89	5073.78	6775.00	11462.67
			(44680.55)

कुल उपलब्ध संसाधन	अनाज मूल्य सहित व्यय	अंतशेष	उपलब्ध संसाधनों में कमी की प्रतिशतता
1425.00	शून्य	1425.00	100
9114.53	4279.25	2915.28	40.5
10890.01	4658.25	6231.75	57.2
1551.43	8385.88	7165.55	46.1
15894.49	10820.71	5073.78	31.9
1656.46	11190.25	5346.20	32.3
	393.4.35		

वर्ष 1983–89 के लिए जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता 44,680.55 लाख रुपये (नकद एवं सामान के रूप में) के विरुद्ध 39,334.35 लाख रुपये खर्च किए गए, जिसमें मार्च 1989 केअंत तक 5346.20 लाख रुपये अव्यवहृत राशि शेष रह गई। उपयोगिता में वार्षिक कमी का अन्तर (1987-88 में) 31.9 प्रतिशत एवं (1983-84) में 100 प्रतिशत था जिसके कारण नहीं बताये गये।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1983–84 में उपलब्ध करायी गयी राशि का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है। अन्य वर्षों में भी उपलब्ध राशि का पूरा-पूरा व्यय नहीं हो पाया है। इसका कारण योजना के कार्यान्वयन में होने वाला प्रक्रियागत विलम्ब रखा है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभाग एवं एजेंसियों से प्राप्त परियोजनाओं का अनुशंसित एवं परिश्रम कर भारत सरकार को भेजी जाती थी जिनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती थी और इस हेतु निधि उपलब्ध कराया जाता था। प्राप्त निधि से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायी जाती थी। वर्ष 1983–84 में यह परियोजना प्रारम्भ करायी गयी। तत्पश्चात अन्य प्रक्रियाओं को अप्रील, 84 तक पूरी की गयी। फलस्वरूप मई, 1984 से ही योजना का वास्तविक कार्यान्वयन शुरू हुआ। अन्य वित्त वर्षों में उपलब्ध निधि एवं व्यय के बीच कमी की मुख्य वजह उपर्युक्त वर्णित प्रक्रियागत विलम्ब तथा योजना के पूर्ण होने में लगनेवाली अवधि रही। अर्थात राशि प्राप्ति और उनके क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग में विलम्ब होने के कारण उपलब्ध राशि एवं व्यय के बीच अंतर रहा है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

प्राप्त राशि का उपयोग समय पर नहीं किया गया, यह विभागीय शिथिलता का द्योतक है।

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

3.23.6.1– अग्रिम भुगतान का लेखा मे खर्च के रूप में दिखलाया गया था। 63 कार्यकारी एजेंसियों में से 19 अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 84-85 से 88-89 तक की अवधि में विभिन्न अधिकारियों को दिये गये कुल 264.71 लाख रुपये का अग्रिम आर०एल०ई०जी०पी० के अन्तर्गत अंतिम खर्च के रूप में दर्शाया गया। जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी द्वारा झंझारपुर, बेनीपट्टी तथा सदर अनुमण्डल अधिकारियों (सिविल) को वर्ष 84-85 में अग्रिम के रूप में 18 लाख रुपये की जो राशि दी गई थी यह उसके अन्तर्गत था। इन अधिकारियों द्वारा इस राशि को ग्रामीण परिवारों का ईंट बनाने के लिए एवं बीज रकम सहायता के रूप में दी गई। इसका उपयोग आर०एल०ई०जी०पी० कार्य के अंतर्गत किया गया था। उनके द्वारा अग्रिम राशि का उपयोग नहीं किया गया लेकिन 4.95 लाख रुपये वापस कर दिए गये।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में जिले से प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग द्वारा इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इस कंडिका में समिति दो बिन्दुओं पर विभाग से स्पष्टीकरण चाहती है :—

(1) अग्रिम की राशि को अंतिम खर्चा में क्यों दर्शाया गया,

(2) ईंट बनाने के लिए, बीज राशि (सीडमनी) के रूप इस्तेमाल करने हेतु 18 लाख रुपये अग्रिम की राशि में से 4.95 लाख रुपये क्यों वापस किये गये,

(3) विभाग इसकी समीक्षा कब वस्तुः स्थिति से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराये।

क्रमांक–13, 3.23.6.2– नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 560.82 लाख रुपये की राशि का उपयोग आर०एल०ई०जी०पी० कार्य क्षेत्र के बाहर के उद्देश्यों के लिए किया गया अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के अपवर्त्तन का विवरण निम्न प्रकार है :— (1) विभाग ने 100.01 लाख रुपये की राशि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को अप्रैल 85 में अग्रिम के रूप में दिया (अग्रिम की अंतिम खर्च के रूप में माना गया) यह अग्रिम 1594 टन टोर स्टील की आपूर्ति के लिए दिया गया जिसका उपयोग आर०एल०ई०जी०पी० के अंतर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण में किया जाने वाला था।

सेल ने मई, 85 से फरवरी, 87 की अवधि में 845.72 टन स्टील की आपूर्ति की एवं सितम्बर, 88 में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 51.40 लाख रुपये की शेष राशि इस आधार पर वापस की गई कि विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा स्टील की शेष मात्रा (748.28 टन) नहीं उठाई गई इसके कारणों की छानबीन नहीं की गई। सेल के द्वारा वापस की गई (51.40 लाख) एवं आर०एल०ई०जी०पी० के अन्तर्गत पहले ही अंतिम खर्च के रूप में लेखावद्ध की गई राशि को उसी कार्यक्रम में नहीं लगाकर फरवरी, 89 में राज्य राजस्व में जमा कर दी गई।

विभागीय स्पष्टीकरण

संबंधित संचिका की खोज की जा रही है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

आर०एल०ई०जी०पी० कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता की राशि को राज्य राजस्व में जमा किया गया ऐसे करने से विकास कार्यक्रम में बाधा पड़ी। समिति अनुशंसा करती है कि :— (1) इसकी समीक्षा विभाग अपने स्तर से करे तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण करे।

(2) की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

क्रमांक–14. 3.23.6.3– 27.27 लाख रुपये की निधि वर्ष 84–88 के दौरान सिंहभूम तथा मधुबनी जिलों के 5 स्वशासी एजेंसियों को आर०एल०ई०जी०पी० कार्यों (सामाजिक वानिकी, ग्रामीण शौचालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के कार्यान्वयन हेतु दी गई। विभाग ने मई, 89 तक प्राप्तकर्ता निकायों से यह, प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया कि अनुदान का उचित रूप से उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया था जिसके लिए वह दिया गया था।

विभागीय स्पष्टीकरण

संबंधित संचिका की खोज की जा रही है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग का स्पष्टीकरण देने के संबंध में संचिका की खोज की जा रही है, की सूचना क्षोभ है। विभाग को संचिकाओं की रख-रखाव मे सावधानी करनी चाहिए।

समिति की अनुशंसा :—

(1) विभाग उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसकी स्वयं समीक्षा कर ले कि राशि का उपयोग किस प्रयोजन से किया गया और इसकी जानकारी समिति को 6 माह के अन्दर दी जाय।

क्रमांक–15, 3.23.6.4– आर०एल०ई०जी०पी० के लिए दिए मार्ग दर्शन से ऐसा मालूम पड़ा कि संसाधनों के वार्षिक आवंटन का सामाजिक वानिकी के लिए 1985–86 तक 20 प्रतिशत एवं उसके बाद 25 प्रतिशत था। 1984–88 के दौरान (1988-89 के आँकड़े अनुपलब्ध) सामाजिक वानिकी पर (4936.17 लाख रुपये) व्यय किया गया। उस अवधि के कुल व्यय (28144.10 लाख रुपये) का 17.5 प्रतिशत था।

विभागीय स्पष्टीकरण

कार्यक्रम के प्रारम्भ में सामाजिक वानिकी के कार्य में उत्तरोतर वृद्धि हुई है। वर्ष 1984-85 में यह 7.2 प्रतिशत था जो 85-86 में 15.7 प्रतिशत वर्ष 1986–87 में 23.9 प्रतिशत वर्ष 1987–88 में 15.6 प्रतिशत रहा। वर्ष 1987–88 में सामाजिक वानिकी के व्यय में कमी आने का मुख्य कारण प्रतिकुल मौसम रहा जब राज्य के अधिकांश क्षेत्र में बाढ़ एवं सुखा से प्रभावित रहा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–16, 3.23.7– खाद्य पदार्थों का दिया जाना एवं उनका उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को खाद्यान्न खरीदने के लिए 1984-85 तक नकद सहायता दी गई। तत्पश्चात भारत सरकार के खाद्य निगम द्वारा उनको खाद्यान्न निःशुल्क दिया गया।

खाद्यान्नों के उपयोग में कमी जो 1984-85 में 14.1 से 40 प्रतिशत के बीच रहे थे, के कारणों को मई 1989 तक नहीं बतलाया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

खाद्यान्न व्यय में कमी का कारण कई योजना का सामग्री प्रधान होना रहा जिसके कारण इन योजनाओं में कम रोजगार सूजन के फलस्वरूप कम खाद्यान्न का उपयोग रहा। भारतीय खाद्यान्न निगम से उपलब्ध खाद्यान्नों की गुणवत्ता, प्राप्ति में विलम्ब, बाजार में सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न का उपलब्ध होना आदि भी कारण रहा है। भविष्य में खाद्यान्न के उपयोग पर ध्यान रखा जायेगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–17, 3.23.7.1– 1984–85 की अवधि में सरकार द्वारा दिए गए 4.55 लाख टन एवं क्रय किए गए/उठाए गए 3.81 लाख टन खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) में से मार्च, 1989 तक 26.789 टन खाद्यान्न क्षय के भारी खतरे के साथ भंडार में पड़ा रहा। विभिन्न अवधि में प्रतिदिन प्रति मजदूर को आपूर्ति किए जाने वाले आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न 1 किलों से 6 किलो तक विहित मात्रा के विरुद्ध आपूर्ति की गई खाद्यान्नों औसत मात्रा 0.684 किलो ग्राम से 3.811 किलो ग्राम के बीच रही। आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों का कम मात्रा की आपूर्ति किए जाने के कारण मजदूरों को खुले बाजार से उच्च दर पर खाद्यान्नों का क्रय करना पड़ा एवं इस प्रकार खाद्यान्नों पर उपलब्ध आर्थिक सहायता के लाभ से उन्हें वंचित रहना पड़ा।

विभागीय स्पष्टीकरण

खाद्यान्न व्यय में कमी का कारण कई योजना का सामग्री प्रधान होना रहा है जिसके कारण इन योजनाओं में कम रोजगार के फलस्वरूप कम खाद्यान्न का उपयोग रहा। भारतीय खाद्य निगम से उपलब्ध खाद्यान्नों की गुणवत्ता प्राप्ति में विलम्ब, बाजार में सुलभ एवं सस्ते दर पर खाद्यान्न का उपलब्ध होना आदि कम व्यय के कारण रखा है। भविष्य में खाद्यान्न की खपत पर ध्यान रखा जायेगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–18, 3.23.7.2– खाद्यान्नों के उत्तम किस्म की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभागीय एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भंडार का निरीक्षण किया जाना था। 1984-85 के दौरान किये गये अगर हुई हो तो, औचक निरीक्षणों की संख्या नमूना जांच वाले किसी जिले के अभिलेखों पर अंकित नहीं थी। मार्च 1985 में कोलहान वन प्रमण्डल, चाईबासा के प्रमण्डल प्राधिकारी (डी०एफ०ओ०) द्वारा वी०एस०एफ०सी०, चाईबासा के गोदाम से उठाया गया 0·23 लाख रुपये के मूल्य का 15 टन गेहूँ डी०ओ० के अनुसार मावन उपयोग के उपर्युक्त नहीं था। स्टॉक के खपत करने की पद्धति लेखा परीक्षा को नहीं बताई गई।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला से प्रतिवेदन की माँग की गयी है जो अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति विभाग को निदेश देती है कि विभाग इसकी सूचना मंगाकर समीक्षा करे और समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करा दे।

क्रमांक–19, 3.23.7.3– बी०एस०एफ०सी० को सामान के चढ़ाई उतराई खर्च आदि के लिए भुगतानं करने के पश्चात कार्यकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों को उठाया जाता है। अप्रैल 1986 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बी०डी०ओ०) फतुहाँ द्वारा 26 टन खाद्यान्नों के चढ़ाई-उतराई खर्च के लिए 0.04 लाख रुपये जमा किये गये परन्तु बी०डी०ओ० के स्टॉक खाते में उसकी प्राप्ति (0.39 लाख रुपये) उपलब्ध नहीं थी। इसके कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला से प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति की मंशा है कि विभाग इस संबंध में सूचना मंगाकर समीक्षा करे और वस्तुस्थिति से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

क्रमांक–20, 3.23.7.4– लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना द्वारा 1986–87 में 11.55 लाख रुपये की कीमत का 770 टन गेहूँ उठाया गया परन्तु मजदूरों को दिए गए स्टॉक संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा की उपलब्ध नहीं कराया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला से प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति की मंशा है कि विभाग इसकी स्वयं समीक्षा कर ले। समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–21 3.23.7.5– राज्य सरकार के निदेशानुसार खाली बोरे की नीलामी कम-से-कम 5 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से की जानी थी एवं बिक्री के आय को आर०एल०ई०जी०पी० कार्य के कार्यान्वयन में लगाया जाना था। 63 कार्यकारी एजेंसियों में से 47 एजेंसियों द्वारा जिनके अभिलेखों की नूमना जाँच की गई थी, 22.85 लाख रुपये कीमत के 4.57 लाख बोरे की नीलामी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। बोरे के निपटारा नहीं करने, निपटारा में विलम्ब के फलस्वरूप उनकी काफी समय बीतने से गुणवत्ता में ह्रास हुआ एवं उसे उतनी अतिरिक्त निधि के कार्यक्रम से वंचित रहना पड़ा।

विभागीय स्पष्टीकरण

जिला से प्रतिवेदन की मांग की गयी है जो अप्राप्त है प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि विभाग इस लापरवाही की जांच करे और कारगर कार्रवाई करे।

(2) की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

क्रमांक–22, 3.23.8 भौतिक निष्पादन

कुछ नहीं कहना है आगे की कंडिकाओं में उत्तर है।

क्रमांक–23, 8.23.8.1 नियोजन का सृजन

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को दिये गये प्रतिवेदनों के अनुसार पूरे राज्य के मजदूरों के भाग (वेज कम्पोनेंट) एवं सृजित नियोजन पर व्यय का वर्षवार ब्योरे के साथ-साथ लक्ष्य नीचे दिये जाते हैं :—

जिला परिषद चाईबासा में प्राथमिक विद्यालयो के निर्माण के लिए एक मार्च से 10 मार्च तक 0.04 लाख रुपये एक उपस्थित नामावली में लिया गया। उसी अवधि के लिए एवं एक ही कार्य (उसी कार्य) के लिए दो उपस्थिति नामावली के लिए 0.03 लाख रुपया स्वीकार किये गये हैं।

जिला से प्रतिवेदन मांगा गया है जो अप्राप्त है।

(ii) कार्यकारी एजेन्सियों की चर्चा इस कंडिका में है उनके नाम ज्ञात नहीं है। नाम ज्ञात होने पर ही उत्तर दिया जा सकेगा।

(iii) यथा उपर्युक्त

(ii/) श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों की मजदूरी निर्धारित की जाती है। इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को दी गयी थी।

जिन कार्यकारी द्वारा न्यूनतम दर से कम भुगतान किया गया है वे स्वयं इसके लिए जिम्मेवार हैं कार्यकारी एजेन्सियों का नाम पता लगाने पर ही इस कंडिका का उत्तर दिया जा सकता है।

(i/) जिलों से प्रतिवेदन प्रतिक्षित है।

(i/1) खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमत उनके उत्पादन के मौसम में इन कार्यक्रमों के निर्धारित मूल्य से कम होती है। अतः वैसे समय में श्रमिक नगद भुगतान पसंद करते हैं। श्रमिकों की इच्छानुसार ही नगद अथवा खाद्यान्न के रूप में उन्हें भुगतान किया जाता है। अतः संबंधित श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया।

(i/ii) वैशाली जिला से उत्तर प्रतिक्षित है।

(i/iii) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के हस्तक की कंडिका–3.3 के अनुसार ग्रा०भू० परिवारों के निबंधन तथा पहचान पत्र निर्गत करने के संबंध में राज्य सरकार को निर्णय लेना था। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया।

(ix) जिला से उत्तर प्रतिक्षित है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

(1) जिला से प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग कारगर कार्रवाई कर, और

(2) की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराये।

क्रमांक–24, 3.23.8.2 प्रोजेक्ट का सेल्फ एवं वार्षिक कार्ययोजना

स्थानीय संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण अवस्थापना का प्रणालीवद्ध सुनियोजित विकास को प्राप्त करने एवं अग्रता के आधार पर कार्य संपादन करने के लिए विभाग को प्रत्येक जिला कार्यालय में प्रोजेक्ट का सेल्फ एवं वार्षिक कार्य योजना बनानी पड़ी। जिससे ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह देखा गया कि राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रोजेक्ट का सेल्फ बनाया गया एवं राज्य प्रोजेक्ट अनुमोदन बोर्ड द्वारा भारत सरकार को भेजा गया। फिर भी 1987–88 के पूर्व कोई वार्षिक योजना नहीं बनायी गयी थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

योजना के कार्यान्वयन के प्रारम्भिक वर्ष में प्रक्रियागत लंबित विन्दुओं को स्पष्ट रूप रेखा नहीं होने के कारण वार्षिक कार्य योजना का निर्माण नहीं किया जा सका। बाद में वर्षों के इसपर कार्यवाही की गयी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–25, 3.23.8.3 परिसम्पत्तियों की पंजी का न रखा जाना

यह देखा गया है कि कार्यकारिणी एजेंसियां जिनके अभिलेखों से जांच की गयी कोई समेकित अभिलेख नहीं रखी थी। जिससे अर्जित की गयी परिसम्पत्तियों का विवरण देखा जा सके। इस प्रकार के अभिलेखों के अभाव में विभागीय अधिकारियों द्वारा भौलिक सत्यापन सम्भव नहीं था।

विभागीय स्पष्टीकरण

यथा उपरोक्त-कंडिका के अनुसार इसका भी स्पष्टीकरण समझा जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–26, 3.23.8.4 परिसम्पत्तियों का संधारण

राज्य सरकार द्वारा निधियों का प्रावधान करते हुए आर०एल०ई०जी०पी० के अन्तर्गत अर्जित की गयी परिसम्पत्तियों की रख-रखाव की पर्याप्त व्यवस्था की जानी थी जो हो, यह पाया गया कि राज्य संसाधन द्वारा निधियों का प्रावधान नहीं किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कार्यक्रम के तहत सृजित परिसम्पत्तियों को संबंधित स्थानीय निकाय या विभागों को सुपुर्द किया गया। इस मद में निधि की व्यवस्था नहीं की गयी। स्थानीय निकायों के पास संसाधनों का अभाव था जिससे की स्थानीय निकायों को इस मद में राशि उपलब्ध की जाती है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

परिसम्पतियों की रख-रखाव के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गयी। समिति इस निदेश के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग इस पर भविष्य में विचार करे।

क्रमांक–27, 3.23.8.5 उपलब्धियों में कमी—

समग्र राज्य के विभिन्न सेक्टरों (खण्डों) में 84-85 के दौरान संपादित काम के लक्ष्य एवं प्राप्तियो का विवरण परिशिष्ट–8 में दिया गया है। लेखा परीक्षा में देखे गये बिन्दुएं निम्न वर्णित हैं :—

(1) 84–85 वर्ष की अवधि में 10925 कि०मी० बनाये जाने वाले पथ में से 5502 कि०मी० लंबे पथ (49.6 प्रतिशत की कमी) ही पूरा किया गया। नमूना जांच किये गये 8 जिलों में से तकनीकी आकलन में 534 कि०मी० पथ के लिए 1601 पुलियों का प्रावधान था, केवल 1277 पुलियों का ही निर्माण किया गया, परन्तु कार्य को पूरा किया गया बताया गया।

(2) ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (आर०ई०ओ०) प्रमण्डल, पटना, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी में संपर्क सड़कों के निर्माण पर वर्ष 84-88 में आर०एल०ई०जी०पी० निधि से 18 लाख रुपये खर्च किये गये, जो सड़क वास्तव में म्युनिसिपल क्षेत्र में पड़ते थे।

(3) पटना एवं मुजफ्फरपुर जिलों में बाढ़ स्थल के गलत चुनाव एवं मिट्टी की अनुपलब्धता के कारण 2.30 लाख (अनुमानित लागत 13.56 लाख) खर्च करने के बाद 3 कार्यों को छोड़ दिया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कार्यक्रम के तहत सृजित परिसम्पतियाँ को संबंधित स्थानीय निकायों या विभागों को सुपुर्द किया गया। इस मद में निधि की व्यवस्था नहीं की गयी। स्थानीय निकयों के पास संसाधनों का अभाव था जिसे की स्थानीय निकायों को इस मद में राशि उपलब्ध की जाती है।

संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से उत्तर अप्राप्त है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति समझती है कि सड़कों के निर्माण, पुलियों के निर्माण, सिंचाई के लिए किये गये कार्य, लघु सिंचाई के लिए किये गये कार्य, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए किये गये भवनों के निर्माण तथा इन्दिरा आवाज योजना, जलधारा योजना, ग्रामीण शौचालय, सिंचाई कूपों के निर्माण में उपलब्धि लक्ष्य के मुकाबले कम हुई है।

समिति उक्त कंडिका के संबंध में अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग सभी स्थानों से सूचना प्राप्त करे और उसकी समीक्षा कर कारगर कार्रवाई करे।

(2) की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

क्रमांक–28, 3.23.10– मोनीटरिंग एवं मूल्यांकन

एक मोनीटरींग कक्ष 85–86 से राज्य मुख्यालय में कार्यरत था।

राज्य स्तर के समन्वय समिति के कार्यक्रम का विस्तृत समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से कम-से-कम तिमाही में एक बार मिलना आवश्यक था। सरकार ने की गयी बैठकों की संख्या एवं उसकी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

कार्यक्रम के अन्तर्गत संपादित कार्यों का अवधिक मूल्यांकन अध्ययन कार्यक्रम का सफलता एवं असफलता के निर्णय करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित किया जाना था। कार्यक्रम का मूल्यांकन (जून 1989) तक नहीं किया गया।

विषय वस्तु की सूचना अगस्त 89 में सरकार को दी गयी तथापि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 1992)।

स्पष्टीकरण

एतत् संबंधी आँकड़े संग्रहित किये जा रहे हैं संबंधित अभिलेखें उपलब्ध हो जाने पर सही आँकड़े दिये जा सकते हैं।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण अधूरा है। कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं मोनेटरिंग का कार्य क्षेत्रीय एवं मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए था।

समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि भविष्य में उक्त कार्य को करे। समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–29, 3.24– मिट्टी खनन् कार्य के अवास्तविक परिणाम (उत्पादन) को स्वीकार किये जाने के कारण शंकास्पद भुगतान।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन प्रोग्राम (एन०आर०ई०पी०) के अन्तर्गत वैसे निर्माण कार्यों के लिए, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद को पूरक नियोजन अवसर प्रदान करने हेतु बनाया गया था, श्रम का दर 15.85 रुपये (6.10 रुपए नकद एवं शेष खाद्यान्नों के रूप में) प्रति श्रम दिन के हिसाब से 110 वर्ग फीट मिट्टी के कार्य के लिए निर्धारित किया गया था..................

अवास्तविक काम को स्वीकारते हुए उच्च दर पर मजदूरों के भुगतान के फलस्वरूप 1·13 लाख रुपये का अधिक भुगतान ही नहीं हुआ बल्कि स्वयं भुगतान पर प्रश्न चिह्न लग गया।

वस्तु स्थिति की सूचना सरकार को सितम्बर, 89 में दे दी गयी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 92)।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में प्रतिवेदन बाद में भेजा जायेगा।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया है। अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण जरूरी महसूस होता है। समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग इसपर प्रतिवेदन प्राप्त कर उत्तरदायित्व का निर्धारण करे।

(2) की गई कार्रवाई से 6 माह के अन्दर समिति को अवगत कराये।

क्रमांक–30 (क)–6.7, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) मुंगेर के अभिलेखों को जांच परीक्षा करने पर (जुलाई/सितम्बर, 1989 (निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :—

(क) डी०आर०डी०ए० के लेखा अभिलेखों ने दिखाया कि 3.15 लाख रुपये का भुगतान सितम्बर 1987 और फरवरी 1988 के मध्य 3 फर्मो 2 (स्थानीय और 1 पटना का) को पोलीथीन थैली की आपूर्ति के लिए किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

इसके अतिरिक्त प्रखण्ड पदाधिकारियों ने लाभान्वितों द्वारा निधि के उपयोग को प्रदर्शित करने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और ऐसे रिपोर्टों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कर्ज प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा कर्ज का उपयोग किस सीमा तक उन प्रयोजनों पर जिसके लिए ये दिये गये थे, किया गया।

मामले की सूचना सरकार को अक्टूबर 1989 में दी गयी। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

7 (7) एतद् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन मंतव्य सहित जिलाधिकारी, मुंगेर से विभागीय ज्ञापांक–907/दिनांक–5.2.96, 2049/14.3.96. 4770/23.5.96, 5457/18.6.96, 2350/ 26.6.96 एवं फैक्स संवाद 11319/28. 11.96 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। फैक्स संवाद 3376, दिनांक–29.4.97, फैक्स संवाद 3478, दिनांक–3.5.97 द्वारा संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उप विकास आयुक्त को अनुस्मारित किया गया है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति को क्षोभ है कि क्रय की गई वस्तुओं से संबंधित कागजात सुरक्षित ढंग से नहीं रखा गया। संबंधित कागजातों के अभाव में यह जानकारी नहीं है कि कितना क्रय हुआ, कितना भुगतान हुआ और उनका उपयोग कैसे हुआ। समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग प्रतिवेदन प्राप्त कर इसकी समीक्षा कर कार्रवाई करे।

(2) की गई कार्रवाई से 6 माह के अन्दर समिति को अवगत करावे।

क्रमांक–31, 6.7, (ख)–लोक-निधि का दुरूपयोग

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आवंटन के विरुद्ध लेवी सीमेंट, सीमेंट कारखानों को इसके मूल्य का अग्रिम भुगतान किए जाने पर प्राप्त किया जा सकता था। सीमेंट कारखानों की ओर से रकम प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर सीमेंट की आपूर्ति करने में असफलता की स्थिति में अग्रिम की राशि उसपर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज समेत वसूल की जानी थी।

अतः अप्रवर्ती अग्रिमों के भुगतान के पूर्व पहले के अग्रिमों की वसूली में डी०आर०डी०ए० की विफलता के कारण यह परिणाम हुआ कि इत्तर मांग ब्याज की वसूली के लिए 7.10 लाख रुपये की हानि के अतिरिक्त 13.39 लाख रुपये का सरकारी धन अवरोधित हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

एतद् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन मंतव्य सहित जिलाधिकारी, मुंगेर से विभागीय ज्ञापांक–907/4.2.96, 2049/14.3.96, 4770/23. 5.96, 5457/18.6.96,9350/26.6.96 एवं फैक्स संवाद 11319/28.11.96 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है कि फैक्स संवाद 3396, दिनांक–29.4.97 द्वारा अनुस्मारित किया जा चुका है। पुनः फैक्स संवाद 3478/29.4.97 द्वारा अनुस्मारित किया जा चुका है। पुनः फैक्स संवाद 3478/3.5.97 द्वारा संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उप विकास आयुक्त को अनुमारित किया गया है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अनुशंसा करती है कि विभाग इस पर समीक्षा करे और समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

क्रमांक–32, 6.7, (ग)–तकनीकी रूप से योग्य बेरोजगार व्यक्तियों को कर्ज तकनीकी रूप से योग्य बेरोजगार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 1981-82 में 10 ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक प्रखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्वयं का व्यवसाय की स्थापना करने के लिए 0.10 लाख रुपये तक का कर्ज देने की योजना शुरू की। कर्ज 2 प्रतिशत प्रतिमाह के साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के अन्दर 10 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में वसूली योग्य था जो कर्ज को प्राप्ति के तीसरे वर्ष से शुरू होती। पुनः भुगतान में दोष की स्थिति में कर्ज प्राप्तकर्त्ताओं से 7 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाना था।

इसके अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने लाभान्वितों द्वारा निधि के उपयोग को प्रदर्शित करने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और ऐसे रिपोर्टों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कर्ज प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा कर्ज का उपयोग किस सीमा तक उन प्रयोजनों पर जिसके लिए ये दिये गये थे, किया गया।

मामले की सूचना सरकार को अक्टूबर 1989 में दी गयी। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। (जुलाई 1992)।

विभागीय स्पष्टीकरण

यथा उपरोक्त कंडिका–6.7 (क) में वर्णित।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग इसकी समीक्षा कर कार्रवाई करे।

(2) की गई कार्रवाई से 6 माह के अन्दर समिति को अवगत करावे।

क्रमांक–33, 6.8 (क)–डी०आर०डी०ए०, चाईबासा ने 1985 के दौरान बहुत सारे बुकलेटों, फार्मों इत्यादि को स्थानीय प्राईवेट प्रिंटिंग प्रेसों से मुद्रित करवाया। समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रतियोगात्मक के दरों की प्राप्ति और विस्तृत प्रचार के लिए निविदा आमंत्रित करने की जगह चुनिंदा प्रिंटिंग प्रेसों से मूल्य तालिकायें प्राप्त की गयी। इस प्रकार प्राप्त सीमित प्रस्तावों के आधार पर क्रय-समिति ने 19 जुलाई 1985 की दरों को स्वीकृत कर दिया और 20 जुलाई 1985 को 6 प्राईवेट प्रेसों को 13 अगस्त, 1985 तक कार्य पूरा करने की शर्त्त के साथ तदनुसार आदेश दे दिया :—

अतः डी०आर०डी०ए० द्वारा चुनिंदा प्रेसों से सीमित प्रस्तावों को स्वीकार करने से पूर्व राजकीय प्रेसों से मुद्रण की लागत सुनिश्चित कर लेने में विफलता के कारण पहले ही 4.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हो चुका था इसके अतिरिक्त बचे दो प्रेसों से संबंधित 2.69 लाख रुपये का दायित्व का निर्वाह करना बकाया था।

विभागीय स्पष्टीकरण

एतद् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन मंतव्य सहित जिला पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम से विभागीय पत्रांक–907/5.2.96, 2049/14.3.96, 4770/23.5.96, 5497/ 18.6.96, 9350/ 26.6.97 एवं फैक्स संवाद-11319 / 28.11.96 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। पुनः फैक्स संवाद 3396, दिनांक–29.4.97 द्वारा अनुस्मारित किया जा रहा है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग प्रतिवेदन प्राप्त कर इसपर कारगर कार्रवाई करे।

(2) की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

क्रमांक–34, 6.8 (ख) डी०आर०डी०ए०, हजारीबाग ने अगस्त, 1985 में बिना निविदा आमंत्रित किए सासाराम के एक स्थानीय प्राईवेट प्रेस से 3.10 प्रति सेट की दर से 72,000 विकास पत्रिकाओं का क्रय किया और प्रेस द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों की लागत के लिए प्रेस 3.23 लाख रुपये का भुगतान किया। अप्रैल-मई 1986 के दौरान, डी०आर०डी०ए० ने सीमित मूल्य तालिकाओं के माध्यम से सासाराम के एक अन्य प्रेस से 2.25 रुपये प्रति दर से और 84,596 विकास पत्रिकाओं की आपूर्ति प्राप्त किया। 1986-87 के लिए सामानों की

आपूर्ति के लिए डी०आर०डी०ए० ने दिसम्बर 1986 में समाचार-पत्रों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किया और इस बार न्यूनतम प्रस्ताव 0.74 रुपये प्रति का प्राप्त हुआ। क्योंकि न्यूनतम निविदाकर्त्ता ने सामानों की आपूर्ति नहीं की, 1.10 लाख विकास पत्रिकायें दूसरे न्यूनतम निविदाकर्त्ता से 0.94 प्रति की दर से खरीदी गयी जिसके लिए मई 1987 में प्रेस को 1.03 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस प्रकार यह देखा गया कि प्रथम बार निविदा आमंत्रित करने की विहित विस्तृत प्रचार करते हुए जैसा कि आवश्यक है, निविदायें आमंत्रित करने की जगह सीमित मूल्य तालिकायें प्राप्त करने के कारण 1986 की दरों की तुलना में 2.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग के पत्रांक–60, दिनांक–3.5.97 द्वारा विकास पत्रिकाओं के क्रम जो वर्ष 1986 की अपेक्षा प्रति सेट की दर पर किया गया है, के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अभिकरण द्वारा अगस्त 85 में 3.10 रुपये प्रति सेट की दर से 72,000 विकास पत्रिकाओं के निमित्त 2.23 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

अप्रैल-मई 1985 में सीमित मूल्य तालिकाओं के आधार पर 2.25 रुपये प्रति सेट की दर से 84596 अतिरिक्त पत्रिकाओं के निमित 1.903 लाख रुपये भुगतान किया गया। अतएव वर्ष 1986 में 0.94 रुपये प्रति सेट की दर से आपूर्ति की गई पत्रिकाओं की लागत की तुलना में 2.66 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुआ है। ऐसा परिस्थितिवश न्यूनतम निविदाकर्त्ता द्वारा पत्रिकाओं की आपूर्ति नहीं करने एवं यथा समय योजना के हित में निविदा आमंत्रित नहीं किये जाने के कारण प्रतीत होता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–35, 6.8 (ग)–इसी प्रकार डी०आर०डी०ए० गिरिडीह ने मई 1985 में निविदायें मूल्य तालिकायें आमंत्रित किए बिना ही 3.10 रु० प्रति सेट की दर पर 8.37 लाख रुपये की लागत मूल्य की 2.70 लाख विकास पत्रिकाओं की खरीद की। विहित प्रक्रिया को अपनाये बिना विकास पत्रिकाओं को बहुत अधिक दरों पर अधिक मात्रा में खरीद और बिना तत्काल आवश्यकता के खरीद जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि मई 1989 के अंत में खरीद के 4 वर्षों के उपरान्त 1.30 लाख पत्रिकायें भंडार में पड़ी हैं, के फलस्वरूप न केवल डी०आर०डी०ए०, हजारीबाग द्वारा दिसम्बर 1986 में प्राप्त दरों की तुलना में 5.83 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ बल्कि 4.02 लाख रुपये जो अव्यवहृत स्टॉक का लागत था, का सरकारी धन अवरुद्ध हुआ।

मामले की सूचना सरकार को सितम्बर 1982 में दी गई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 1992)।

विभागीय स्पष्टीकरण

एतद् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन मंतव्य सहित जिलाधिकारी, मुंगेर से विभागीय पत्रांक-907, दिनांक-5.2.96, 2049/4.3.96,4770/23.5.96, 5457/18.6.96, 9350/26.6.96 एवं फैक्स संवाद 11319/28.11.96 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। पुनः फैक्स संवाद द्वारा अनुस्मारित किया जा रहा है। (प्रशाखा-3 से प्राप्त)।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

आवश्यकता से अधिक पत्रिकाओं को खरीदने का क्या औचित्य था, जबकि भण्डार में ही पड़ी रह गई।

समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभाग संबंधित स्थानों से सूचना प्राप्त कर अपने स्तर से कार्रवाई करे।

(2) की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

पटना :
दिनांक — 18.2.02

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक-लेखा समिति।

बि०स०मु० (एल०ए०) 33– मोनो–650–24.7.2002

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार पटना द्वारा मुद्रित
2002